
परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग क
(सन्दर्भ: कंडिका 1.1)

झारखण्ड का परिचय								
क. सामान्य आँकड़ा								
क्र.सं.	विवरण			आँकड़ा				
1	क्षेत्रफल			79,716 वर्ग कि.मी				
2	जनसंख्या							
	क.	2011		3.33 करोड़				
	ख.	2023		3.95 करोड़				
3	क.	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2011 के जनगणना के अनुसार) अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.				
	ख.	जनसंख्या का घनत्व ² (2022-23 के जनगणना के अनुसार) अखिल भारतीय घनत्व = 422.26 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		495.08 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.				
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) (2011-12) ³ (अखिल भारतीय औसत = 21.92%)			36.96 प्रतिशत				
5	साक्षरता ⁴ (अखिल भारतीय औसत = 73%)			66.40 प्रतिशत				
6	शिशु मृत्यु दर ⁵ (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)			25				
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ⁶ (भारतीय = 70 वर्ष)			69.6 वर्ष				
8	मानव विकास सूचकांक ⁷							
	क.	2020 (अखिल भारतीय = 0.642)		उपलब्ध नहीं				
	ख.	2021 (अखिल भारतीय = 0.633)		उपलब्ध नहीं				
9	2022-23 में चालू मूल्य (2011-12 श्रृंखला) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ⁸			₹ 3,93,722 करोड़				
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2013-14 से 2022-23)		झारखण्ड	6.94 प्रतिशत				
			अखिल भारतीय	9.12 प्रतिशत				
11	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2013-14 से 2022-23)		झारखण्ड	8.52 प्रतिशत				
			अखिल भारतीय	10.34 प्रतिशत				
12	जनसंख्या वृद्धि (2013-14 से 2022-23)		झारखण्ड	15.69 प्रतिशत				
			अखिल भारतीय	11.68 प्रतिशत				
ख. वित्तीय आँकड़ा								
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)					
			वृद्धि		2020-21 से 2021-22		2021-22 से 2022-23	
			सामान्य राज्य	झारखण्ड	सामान्य राज्य	झारखण्ड		
1	क.	राजस्व प्राप्तियों का	25.59	24.17	13.41	15.09		
2	ख.	स्वयं कर राजस्व का	25.62	26.12	19.78	17.98		
3	ग.	गैर कर राजस्व का	44.81	32.61	12.94	27.91		
4	घ.	कुल व्यय का	14.00	3.53	12.53	15.34		
5	ड.	पूँजीगत व्यय का	25.62	-8.49	18.93	68.15		
6	च.	पूँजी परिव्यय	28.23	10.76	14.18	49.47		
7	छ.	ऋण एवं अग्रिम संवितरण	1.22	-56.72	75.33	187.84		
8	ज.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	11.47	10.99	13.21	5.00		
9	झ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	19.71	24.40	0.88	7.54		
10	ञ.	वेतन एवं मजदूरी का	11.82	8.49	8.52	6.61		
11	ट.	पेंशन का	11.88	12.02	11.38	2.48		

¹ सेन्सस इन्फो इंडिया 2011, कुल अंतिम जनसँख्या

² राष्ट्रीय जनसँख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत एवं राज्यों के जनसँख्या अनुमान 2011-36

³ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम अनुपालन मंत्रालय

⁴ जनगणना 2011

⁵ एसआरएस बुलेटिन (2020)

⁶ एसआरएस अब्रिज्ड लाइफ टेबल 2016-20

⁷ यूएनडीपी रिपोर्ट एचडीआर 2020

⁸ आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड

परिशिष्ट 1.1 भाग ख
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(सन्दर्भ: कंडिका 1.3)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।	
भाग-I : संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं वाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की संचित निधि" नामक एक संचित निधि का निर्माण करेगी।	
भाग-II : आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि एक इम्प्रेस्ट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और संचित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।	
भाग-III : लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।	
भाग-ग: वित्त लेखे का अभिन्यास	
विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपत्तियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरणी सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात् संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखे जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरणी सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को सारांशकृत भी करती है।
विवरणी सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व' जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरणी सं. 7	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों (क्षेत्र एवं ऋणी समूह के अनुसार) जैसा विवरण-1 में चित्रित है तथा विवरणी संख्या 2, 3 एवं 4 में दिखायी गयी वसूलियाँ, संवितरणों को दर्शाता है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों की सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरणी सं. 11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरणी सं. 12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं. 13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 15	यह लघु शीर्षवार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरणी सं. 16	वर्ष 2022-23 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं. 17	यह लघु शीर्षवार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरणी सं. 18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2023 के अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 19	वर्ष 2022-23 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	रक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 2.1
वर्ष 2022-23 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 2.2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण						
2021-22		2022-23	2021-22		2022-23				
	भाग - क: राजस्व				स्थापना	राज्य एवं केन्द्रीय योजना	कुल		
69,721.86	I. राजस्व प्राप्तियाँ	80,245.22	62,777.91	I. राजस्व व्यय	34,328.93	32,352.71	66,681.64	66,681.64	
21,289.61	कर राजस्व	25,117.51	21,555.30	सामान्य सेवाएँ	22,958.14	302.91	23,261.05		
			24,639.33	सामाजिक सेवाएँ	8,484.85	19,155.15	27,640.00		
10,030.75	कर-भिन्न राजस्व	12,830.05	11,174.19	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	6,353.37	5,300.17	11,653.54		
			4,334.17	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,457.22	3,203.29	4,660.51		
27,734.64	संघीय करों में राज्य के हिस्से	31,404.12	3,173.62	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	491.62	1,790.78	2,282.40		
2,198.30	वित्त आयोग अनुदान	1,826.59	179.47	सूचना एवं प्रसारण	118.41	94.07	212.48		
1,891.40	राज्य को अन्य अनुदान	2,195.16	1,074.77	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	157.26	2,290.38	2,447.64		
6,577.16	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	6,871.79	182.09	श्रम एवं श्रम कल्याण	57.30	457.70	515.00		
			4,487.95	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	-184.12	6,027.20	5,843.08		
			33.07	अन्य	33.79	-8.44	25.35		
			16,583.28	आर्थिक सेवाएँ	2,885.94	12,894.65	15,780.59		
			3,533.97	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	767.94	1,990.06	2,758.00		
			6,423.65	ग्रामीण विकास	744.71	5,494.14	6,238.85		
			0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00		
			372.87	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	375.99	2.00	377.99		
			3,808.30	ऊर्जा	0.00	3,531.08	3,531.08		
			329.71	उद्योग एवं खनिज	60.42	249.11	309.53		
			443.05	परिवहन	383.09	165.96	549.05		
			0.00	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00		
			1,671.73	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	553.79	1,462.30	2,016.09		
			0.00	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00		
			62,777.91	कुल	34,328.93	32,352.71	66,681.64		
	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा		6,943.95	II. राजस्व आधिक्य खण्ड ख				13,563.58	
69,721.86	कुल	80,245.22	69,721.86	कुल				80,245.22	

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

प्राप्तियाँ			संवितरण						
2021-22		2022-23	2021-22	2022-23					
भाग- ख									
3,720.32	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	5,572.70	0.00	III. भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट का आरंभिक शेष					0.00
0.00	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	9,376.90	IV. पूँजीगत परिव्यय	0.02	14,015.57	14,015.59	14,015.59	
			734.30	सामान्य सेवाएँ	0.00	872.98	872.98		
			1,595.26	सामाजिक सेवाएँ	0.00	5,220.99	5,220.99		
			94.34	शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति	0.00	1,011.79	1,011.79		
			488.68	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	624.50	624.50		
			590.28	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.00	2,668.59	2,668.59		
			0.00	सूचना एवं प्रसारण	0.00	0.05	0.05		
			364.42	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0.00	848.33	848.33		
			11.92	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.00	42.60	42.60		
			45.62	अन्य	0.00	25.13	25.13		
			7,047.34	आर्थिक सेवाएँ	0.02	7,921.60	7,921.62		
			353.73	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0.00	654.48	654.48		
			1,142.75	ग्रामीण विकास	0.02	2,219.57	2,219.59		
			0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00		
			1,204.26	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,373.71	1,373.71		
			87.52	ऊर्जा	0.00	153.96	153.96		
			1,002.00	उद्योग और खनिज	0.00	3.00	3.00		
			3,202.12	परिवहन	0.00	3,437.50	3,437.50		
			54.96	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	79.38	79.38		
1,291.73	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	46.41	1,462.98	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	153.43	4,057.71	4,211.14	4,211.14	
1,246.00	ऊर्जा परियोजनाओं से	0.00	1,412.57	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	0.00	4,057.71	4,057.71		
45.73	सरकारी सेवकों से	46.22	31.68	सरकारी सेवकों को	40.55	0.00	40.55		
0.00	अन्य से	0.19	18.73	अन्य को	112.88	0.00	112.88		
6,943.95	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य	13,563.59	0.00	VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा					0.00
9,839.87	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,142.30	4,247.08	VII. लोक ऋण की पुनर्भुगतान			6,729.46	6,729.46	
0.00	वाह्य ऋण	0.00	0.00	वाह्य ऋण			0.00		
6,594.22	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को	5,515.20	4,012.80	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को			6,473.08		

प्राप्तियाँ			संवितरण				
2021-22		2022-23	2021-22		2022-23		
	छोड़कर आंतरिक ऋण			छोड़कर आंतरिक ऋण			
0.00	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन	0.00	0.00	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन			0.00
0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	0.00	0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन			0.00
3,245.65	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	3,627.10	234.28	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान			256.38
0.00	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग		0.00	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग			0.00
0.00	IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		0.00	IX. आकस्मिकता निधि से व्यय			0.00
24,643.60	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	33,446.29	25,779.81	X. लोक लेखा संवितरण		30,132.42	30,132.42
1,172.20	छोटे बचत एवं भविष्य निधि	1,397.48	1,365.41	छोटे बचत एवं भविष्य निधि		1,381.69	
825.60	रक्षित निधि	361.56	1,205.51	रक्षित निधि		1,170.25	
200.00	कर्णाकित निधियों में निवेश	500.00					
143.76	उचत एवं विविध	519.39	170.86	उचत एवं विविध		224.34	
8,159.71	प्रेषण	9,397.23	8,173.53	प्रेषण		9,433.32	
14,142.33	जमा एवं अग्रिम	21,270.63	14,864.50	जमा एवं अग्रिम		17,922.82	
0.00	अंतर्राज्यीय समायोजन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय समायोजन		0.00	
0.00	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष		5,572.70	XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष		6,682.68	6,682.68
			0.00	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण		0.00	
			149.37	रिजर्व बैंक में जमा		91.07	
			38.83	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष		38.33	
			903.87	कर्णाकित निधि का निवेश		1,403.87	
			4,480.63	रोकड़ शेष का निवेश		5,149.41	
1,16,161.33	कुल	1,42,016.51	1,16,161.33	कुल			1,42,016.51

परिशिष्ट 2.2
राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 2.3.2.1 एवं 2.4)

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भाग - क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	56,152	58,417	56,150	69,722	80,245
(i) कर राजस्व	14,752	16,771	16,880	21,290	25,118
वस्तु एवं सेवा कर	8,201	8,418	7,931	9,557	11,375
कृषि आय पर कर	-	0	0	0	0
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,475	3,996	4,301	5,213	6,271
राज्य उत्पाद	1,083	2,009	1,821	1,807	2,057
वाहनों पर कर	864	1,129	976	1,263	1,574
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	451	560	708	987	1,108
भू-राजस्व	389	338	873	1,621	1,557
माल एवं यात्रियों पर कर	0	0	0	0	0
अन्य कर	289	321	270	841	1,176
(ii) कर भिन्न राजस्व	8,258	8,750	7,564	10,031	12,830
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	23,906	20,593	19,712	27,735	31,404
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	9,236	12,303	11,993	10,667	10,894
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	47	49	49	1,292	46
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	56,199	58,466	56,199	71,014	80,292
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,803	9,593	13,547	9,840	9,142
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,531	9,167	10,958	6,594	5,515
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	273	426	2,588	3,246	3,627
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	64,002	68,059	69,745	80,853	89,434
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	25,410	33,243	28,511	24,644	33,446
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	97,245	1,01,302	98,256	1,05,497	1,22,880
भाग - ख. व्यय/ संवितरण					
10. राजस्व व्यय	50,631	56,457	59,264	62,778	66,682
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.रा.यो., के.प्रा.यो.	23,983	27,627	28,370	32,160	32,353
गैर योजना/स्थापना	26,648	28,830	30,894	30,618	34,329
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	17,656	18,714	19,903	21,555	23,261
सामाजिक सेवाएँ	18,786	21,448	23,347	24,639	27,640
आर्थिक सेवाएँ	14,189	16,294	16,014	16,583	15,781
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	1	0	0	0
11. पूँजीगत व्यय	10,712	9,879	8,466	9,377	14,016
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.रा.यो., के.प्रा.यो.	10,669	9,832	8,401	9,377	14,016
गैर योजना/स्थापना	42	47	65	0	0
सामान्य सेवाएँ	791	1,239	771	734	873
सामाजिक सेवाएँ	1,616	1,431	1,492	1,595	5,221

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आर्थिक सेवाएँ	8,305	7,209	6,203	7,047	7,922
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	1,485	165	3,380	1,463	4,211
13. कुल व्यय (10+11+12)	62,828	66,501	71,109	73,618	84,908
14. लोक ऋण पुनर्भुगतान	3,060	4,231	2,745	4,247	6,729
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,893	4,058	2,547	4,013	6,473
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	167	173	198	234	256
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	0	0	0	0	0
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	65,888	70,732	73,854	77,865	91,638
17. आकस्मिक निधि संवितरण	0	0	0	0	0
18. लोक लेखा संवितरण	23,279	27,903	24,146	25,780	6,729
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	89,167	98,635	98,000	1,03,645	98,367
भाग-ग घाटे					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	5,521	1,960	-3,114	6,944	13,564
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	-6,629	-8,035	-14,911	-2,604	-4,617
22. प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (21-23)	-1,777	-2,727	-9,120	3,682	1,622
भाग-घ अन्य आँकड़े					
प्राथमिक राजस्व शेष (गैर-ऋण प्राप्ति -प्राथमिक राजस्व व्यय)	10,420	7,317	2,725	14,522	19,848
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	4,852	5,308	5,790	6,286	6,238
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	17,976	19,191	20,078	19,630	22,194
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	68	16	0	16	0
उपभोगित अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	58	16	0	16	0
उपभोगित ओवरड्राफ्ट (दिन)	10	0	0	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	6	4	0	46	0
27 (क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) [@]	3,05,695	3,10,305	2,96,664	3,58,863	3,93,722
27. (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) [@]	2,29,274	2,31,755	2,19,483	2,43,348	2,59,800
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	83,783	94,407	1,09,185	1,13,483	1,18,448
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	607	607	607	607	4,998
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	450	450	607	607	4,998
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	410	378	374	274	209

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	3,818	3,828	4,669	4,040	3,292
भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.83	5.40	5.69	5.93	6.38
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	6.43	7.24	7.69	8.75	9.67
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.70	2.82	2.55	2.80	3.26
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.60	3.78	3.45	4.12	4.94
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	7.82	6.64	6.64	7.73	7.98
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.03	5.31	5.46	4.38	4.19
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	20.55	21.43	23.97	20.51	21.57
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	27.40	28.69	32.40	30.25	32.68
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	111.89	113.84	126.64	105.59	105.81
राजस्व व्यय/कुल व्यय	80.59	84.90	83.34	85.28	78.53
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	32.47	34.44	34.96	35.66	38.70
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	35.84	35.48	35.96	34.02	32.82
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	17.05	14.86	11.91	12.74	16.51
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	15.79	12.99	10.82	11.74	15.48
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	1.81	0.63	-1.05	1.93	3.44
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.41	0.85	-1.42	2.85	5.22
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-2.17	-2.59	-5.03	-0.73	-1.17
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-2.89	-3.47	-6.79	-1.07	-1.78
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-0.58	-0.88	-3.07	1.03	0.41
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-0.78	-1.18	-4.16	1.51	0.62
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-83	-24	21	-267	-294
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.41	2.36	0.92	4.05	5.04
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.54	3.16	1.24	5.97	7.64
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	27.41	30.42	36.80	31.62	30.08
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर	36.54	40.74	49.75	46.63	45.59

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स.रा.घ.उ.					
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	149.21	161.61	194.45	162.76	147.61
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	*	Nil	15	0	1
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	117.57	117.66	112.40	117.97	128.38
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सरकारी कर्मचारी को ऋण एवं अग्रिम	46.88	52.51	4.46	31.68	40.55
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	23.23	24.00	22.91	16.27	2.14
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	1,462.36	89.00	3,352.40	1,415.03	4,168.45
परिसंपत्तियाँ	99,210	1,11,869	1,23,935	1,35,335	1,54,624
दायित्व	84,382	95,080	1,10,260	1,14,717	1,20,441

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ आँकड़े राज्य सरकार से प्राप्त किये गये। * ₹ 15,000 मात्र

परिशिष्ट 2.3

31.03.2023 तक झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 2.5.4)

(₹ करोड़ में)

31.03.2022 को	दायित्व		31.03.2023 को
74,538.31	आंतरिक ऋण		73,580.43
55,412.65	ब्याज सहित बाजार ऋण	55,812.65	
0.04	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.04	
5.59	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	5.59	
13,102.63	अन्य संस्थाओं से ऋण	12,514.24	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00	
6,017.40	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	5,247.91	
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0.00	
7,993.22	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		11,363.95
0.00	1984-85 से पूर्व के ऋण	0.00	
10.52	गैर योजना ऋण	8.80	
7,982.70	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	11,355.15	
500.00	आकस्मिकता निधि		500.00
1,001.19	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि		1,016.98
23,609.29	जमा		26,955.09
6,844.35	रक्षित निधि		6,535.66
112.64	अंतरण शेष		76.55
117.65	उचत एवं विविध शेष		412.70
20,618.78	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति		34,182.37
1,35,335.43	कुल		1,54,623.73
परिसम्पत्तियाँ			
1,05,394.58	अचल सम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		1,19,410.18
2,130.70	कम्पनियों/निगमों आदि के शेयर में निवेश	2,363.84	
1,03,263.88	अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,17,046.34	
0.00	अन्तर्राज्यीय समायोजन		0.00
24,348.48	ऋण एवं अग्रिम		28,513.21
23,460.84	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	27,518.55	
917.80	अन्य विकास ऋण	1,030.49	
-30.16	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-35.83	
19.67	अग्रिम		17.66
0.00	उचत एवं विविध शेष		0.00
5,572.70	नकद		6,682.68
0.00	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0.00	
149.37	रिजर्व बैंक में जमा	91.07	
903.87	जमा निधि का निवेश	1,003.87	
38.83	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	38.33	
4,480.63	नकद शेष निवेश	5,149.41	
0.00	प्रेषण शेष		0.00
0.00	सरकारी लेखे में घाटा		0.00
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा/आधिक्य		
1,35,335.43	कुल		1,54,623.73

परिशिष्ट 3.1

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 3.2.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,653.22	444.03	1,198.93	1,898.32
2	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	276.21	4.97	214.71	66.47
3	3- भवन निर्माण विभाग	112.36	0.73	80.66	32.43
4	12- वित्त विभाग	65.06	3.08	46.73	21.41
5	15- पेंशन	8,045.38	402.50	7,803.17	644.71
6	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,490.08	237.32	1,448.06	1,279.34
7	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,159.66	972.62	4,674.15	1,458.13
8	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,696.10	83.64	1,566.18	213.56
9	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	6,433.85	444.10	6,329.51	548.44
10	23- उद्योग विभाग	327.15	7.02	274.97	59.20
11	27- विधि विभाग	565.24	17.01	468.44	113.81
12	32- विधान सभा	126.29	6.73	124.64	8.38
13	35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	241.64	25.78	212.19	55.23
14	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	582.37	2.31	300.30	284.38
15	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	30.27	4.33	20.31	14.29
16	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,508.83	261.61	854.87	915.57
17	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	778.49	133.99	700.71	211.77
18	41- पथ निर्माण विभाग	553.34	1.38	385.01	169.71
19	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,468.72	292.67	4,360.55	3,400.84
20	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	332.92	3.73	160.29	176.36
21	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन विभाग)	74.33	8.14	66.62	15.85
22	47- परिवहन विभाग	189.63	16.00	187.72	17.91
23	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहर विकास प्रभाग)	2,076.11	884.52	1,969.22	991.41
24	49- जल संसाधन विभाग	394.71	1.51	314.58	81.64
25	52- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	132.96	0.94	92.61	41.29
26	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डैयरी प्रभाग)	124.73	2.18	92.12	34.79
27	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	214.43	100.45	129.37	185.51
28	56- ग्रामीण विकास विभाग	2,009.47	727.50	1,764.90	972.07
29	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2,299.25	72.04	2,059.52	311.77
30	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,450.05	387.36	7,592.79	1,244.62
कुल		55,412.85	5,550.19	45,493.83	15,469.21
राजस्व (भारित)					
31	5- राज्यपाल का सचिवालय	14.82	0.68	11.56	3.94
32	13- ब्याज संदाय	6,661.57	1.60	6,238.31	424.86
33	34- झारखण्ड लोक सेवा आयोग	30.15	1.60	15.20	16.55
कुल		6,706.54	3.88	6,265.07	445.35

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
पूँजीगत (दत्तमत)					
34	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	477.00	8.10	471.18	13.92
35	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	20.20	2.50	9.29	13.41
36	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	242.99	25.00	116.04	151.95
37	12- योजना-सह-वित्त विभाग	87.13	7.00	44.27	49.86
38	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	510.00	199.44	379.68	329.76
39	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	64.00	1.38	38.54	26.84
40	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	3,472.04	31.01	1,840.08	1,662.97
41	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	304.20	30.85	257.78	77.27
42	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2,449.90	322.80	1,611.18	1,161.52
43	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	78.69	39.68	42.60	75.77
कुल		7,706.15	667.76	4,810.64	3,563.27
कुल योग		69,825.54	6,221.83	65,569.54	19,477.83

परिशिष्ट 3.2
अनावश्यक पुनर्विनियोग
(संदर्भ: कंडिका 3.2.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	शीर्ष	प्रावधान			प्रत्यर्पण	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग				
1	2	3451-00-090-08-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	2.38	-	(+)0.07	शून्य	2.45	2.37	0.08
2	3	4059-01-796-58-कार्यालय भवन/सर्किट हाउस	75.00	40.00	(+)6.00	शून्य	121.00	119.43	1.57
3		4216-01-796-14-सरकारी आवासीय भवन का निर्माण	75.00	10.00	(+)5.00	शून्य	90.00	88.56	1.44
4	4	2070-00-800-05-दरबार शुल्क	0.70	0.10	(+)0.06	शून्य	0.86	0.77	0.09
5	12	2052-00-090-08- वित्त विभाग	14.17	1.32	(+)0.34	शून्य	15.83	14.60	1.23
6	13	2049-60-701-03- अन्य विविध निर्णय के आलोक में ब्याज	2.50	1.50	(+)0.99	1.87	3.12	2.95	0.17
7	20	2210-01-110-61 हजारीबाग चिकित्सा अस्पताल	7.01	5.04	(+)0.35	शून्य	12.40	11.35	1.05
8	21	2202-03-796-बीए-नये महाविधालय एवं विश्वविद्यालय के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए सहायता-अनुदान	100.00	8.50	(+)5.00	शून्य	113.50	72.29	41.21
कुल			276.76	66.46	17.81	1.87	359.16	312.32	46.84

परिशिष्ट 3.3

वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)

(संदर्भ: कंडिका 3.2.5.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,653.22	444.03	3,097.25	1,198.93	1,898.32	1,644.32
2	15- पेंशन	8,045.38	402.50	8,447.88	7,803.17	644.71	700.00
3	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,490.08	237.32	2,727.40	1,448.06	1,279.34	1,100.04
4	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1,019.95	245.42	1,265.37	1,024.81	240.56	169.47
5	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,159.66	972.61	6,132.27	4,674.15	1,458.12	886.72
6	21- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,696.10	83.64	1,779.74	1,566.18	213.56	93.35
7	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	6,433.85	444.09	6,877.94	6,329.51	548.43	9.63
8	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	526.70	249.17	775.87	532.32	243.55	216.17
9	27- विधि विभाग	565.24	17.01	582.25	468.44	113.81	20.00
10	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	582.37	2.31	584.68	300.30	284.38	234.00
11	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,508.83	261.61	1,770.44	854.87	915.57	-
12	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	778.49	133.99	912.48	700.71	211.77	0.59
13	41- पथ निर्माण विभाग	553.34	1.38	554.72	385.01	169.71	-
14	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,468.72	292.67	7,761.39	4,360.55	3,400.84	2,850.91
15	45- सूचना प्रावधिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	332.92	3.73	336.65	160.29	176.36	159.70
16	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहरी विकास प्रभाग))	2,076.11	884.52	2,960.63	1,969.22	991.41	840.73
17	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1,627.75	1,654.10	3,281.85	2,460.39	821.46	250.93
18	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	214.43	100.45	314.88	129.37	185.51	75.00
19	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2,009.47	727.50	2,736.97	1,764.90	972.07	184.00
20	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2,299.25	72.04	2,371.29	2,059.52	311.77	8.32

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
21	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	8,450.05	387.36	8,837.41	7,592.79	1,244.62	548.23
22	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	5,663.63	1,847.05	7,510.68	5,841.18	1,669.50	837.95
कुल		62,155.54	9,464.50	71,620.04	53,624.67	17,995.37	10,830.06
राजस्व (भारित)							
23	13- ब्याज अदाएगी	6,661.57	1.60	6,663.17	6,238.31	424.86	246.72
कुल		6,661.57	1.60	6,663.17	6,238.31	424.86	246.72
पूँजीगत (दत्तमत)							
24	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	242.99	25.00	267.99	116.04	151.95	80.80
25	10- उर्जा विभाग	1,464.98	2,888.67	4,353.65	4,211.67	141.98	141.98
26	22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	510.00	199.44	709.44	379.68	329.76	68.13
27	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	3,472.04	31.01	3,503.05	1,840.08	1,662.97	1,635.50
28	41- पथ निर्माण विभाग	3,300.00	465.00	3,765.00	3,352.85	412.15	371.10
29	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	141.60	0.00	141.60	37.32	104.28	52.68
30	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहरी विकास प्रभाग)	967.42	0.00	967.42	723.80	243.62	243.37
31	49- जल संसाधन विभाग	1,093.80	308.07	1,401.87	1,120.93	280.94	280.48
32	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2,449.90	322.80	2,772.70	1,611.18	1,161.52	783.73
कुल		13,642.73	4,239.99	17,882.72	13,393.55	4,489.17	3,657.77
कुल योग		82,459.84	13,706.09	96,165.93	73,256.53	22,909.40	14,734.55

परिशिष्ट 3.4
वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 3.2.5.1)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,653.22	444.03	3,097.25	1,198.93	1,898.32	1,644.32
2	15- पेंशन	8,045.38	402.50	8,447.88	7,803.17	644.71	700.00
3	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,490.08	237.32	2,727.40	1,448.06	1,279.34	1,100.04
4	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,159.66	972.61	6,132.27	4,674.15	1,458.12	886.72
5	22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	6,433.85	444.09	6,877.94	6,329.51	548.43	9.63
6	39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,508.83	261.61	1,770.44	854.87	915.57	0.00
7	42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,468.72	292.67	7,761.39	4,360.55	3,400.84	2,850.91
8	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहरी विकास प्रभाग)	2,076.11	884.52	2,960.63	1,969.22	991.41	840.73
9	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1,627.75	1,654.10	3,281.85	2,460.39	821.46	250.93
10	56- पंचायती राज विभाग	2,009.47	727.50	2,736.97	1,764.90	972.07	184.00
11	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,450.05	387.36	8,837.41	7,592.79	1,244.62	548.23
12	60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	5,663.63	1,847.05	7,510.68	5,841.18	1,669.50	837.95
कुल		5,386.75	8,555.36	62,142.11	46,297.72	15,844.39	9,853.46
पूँजीगत							
13	36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	3,472.03	31.01	3,503.04	1,840.08	1,662.96	1,635.50
14	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2,449.90	322.80	2,772.70	1,611.18	1,161.52	783.73
कुल		5,921.93	353.81	6,275.74	3,451.26	2,824.48	2,419.23
कुल योग		11,308.68	8,909.17	68,417.85	49,748.98	18,668.87	12,272.69

परिशिष्ट 3.5

मार्च 2023 महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि
(संदर्भ: कंडिका 3.2.6)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य(+)	प्रत्यर्पित राशि
राजस्व							
1	1	2,653.22	444.03	3,097.25	1,198.93	(-)1,898.32	1,644.32
2	2	276.21	4.97	281.18	214.71	(-)66.47	36.46
3	9	122.35	419.62	541.97	487.57	(-)54.40	32.26
4	10	3,389.96	678.46	4,068.42	4,028.75	(-)39.67	23.45
5	12	65.06	3.08	68.14	46.73	(-)21.41	14.17
6	13	6,661.57	1.60	6,663.17	6,238.31	(-)424.86	246.72
7	15	8,045.38	402.50	8,447.88	7,803.17	(-)644.71	700.00
8	18	2,490.08	237.32	2,727.40	1,448.06	(-)1,279.34	1,100.04
9	19	1,019.95	245.42	1,265.37	1,024.81	(-)240.56	169.47
10	20	5,159.66	972.61	6,132.27	4,674.15	(-)1,458.12	886.72
11	21	1,696.10	83.64	1,779.74	1,566.18	(-)213.56	93.35
12	23	327.15	7.02	334.17	274.97	(-)59.20	32.92
13	26	526.70	249.17	775.87	532.32	(-)243.55	216.17
14	27	565.24	17.01	582.25	468.44	(-)113.81	20.00
15	35	241.64	25.78	267.42	212.19	(-)55.23	31.59
16	36	582.37	2.31	584.68	300.30	(-)284.38	234.00
17	42	7,468.72	292.67	7,761.39	4,360.55	(-)3,400.84	2,850.91
18	43	188.44	96.94	285.38	240.80	(-)44.58	26.13
19	45	332.92	3.73	336.65	160.29	(-)176.36	159.70
20	46	74.33	8.14	82.47	66.62	(-)15.85	14.04
21	48	2,076.11	884.52	2,960.63	1,969.22	(-)991.41	840.73
22	49	394.71	1.51	396.22	314.58	(-)81.64	63.20
23	50	101.77	0.39	102.16	72.86	(-)29.30	19.84
24	51	1,627.75	1,654.11	3,281.86	2,460.39	(-)821.47	250.93
25	52	132.96	0.94	133.90	92.61	(-)41.29	23.08
26	53	143.78	0.05	143.83	113.69	(-)30.14	15.76
27	54	124.73	2.18	126.91	92.12	(-)34.79	21.69
28	55	214.43	100.45	314.88	129.37	(-)185.51	75.00
29	56	2,009.47	727.50	2,736.97	1,764.90	(-)972.07	184.00
30	59	8,450.05	387.36	8,837.41	7,592.79	(-)1,244.62	548.23
31	60	5,663.63	1,847.05	7,510.68	5,841.18	(-)1,669.50	837.95
कुल		62,826.44	9,802.08	72,628.52	55,791.56	(-)16,836.96	11,412.83
पूँजीगत							
1	3	455.70	180.00	635.70	545.65	(-)90.05	49.31
2	8	41.60	25.00	66.60	54.81	(-)11.79	11.79
3	9	242.99	25.00	267.99	116.04	(-)151.95	80.80
4	10	1,464.98	2,888.67	4,353.65	4,211.67	(-)141.98	141.98
5	12	87.13	7.00	94.13	44.27	(-)49.86	17.28

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य(+)	प्रत्यर्पित राशि
6	18	62.50	0.00	62.50	41.18	(-)21.32	20.06
7	20	459.17	255.10	714.27	624.56	(-)89.71	84.61
8	22	510.00	199.44	709.44	379.68	(-)329.76	68.13
9	26	64.00	1.38	65.38	38.54	(-)26.84	24.72
10	36	3,472.03	31.01	3,503.04	1,840.08	(-)1,662.96	1,635.50
11	41	3,300.00	465.00	3,765.00	3,352.85	(-)412.15	371.10
12	42	582.95	86.92	669.87	608.40	(-)61.47	49.64
13	43	141.60	0.00	141.60	37.32	(-)104.28	52.68
14	45	20.35	84.00	104.35	86.61	(-)17.74	17.74
15	48	967.42	0.00	967.42	723.80	(-)243.62	243.37
16	49	1,093.80	308.07	1,401.87	1,120.93	(-)280.94	280.48
17	50	304.20	30.85	335.05	257.78	(-)77.27	71.53
18	52	62.10	0.00	62.10	35.67	(-)26.43	25.75
19	53	29.90	0.00	29.90	16.72	(-)13.18	12.50
20	55	2,449.90	322.80	2,772.70	1,611.18	(-)1,161.52	783.73
21	58	815.00	0.00	815.00	763.90	(-)51.10	50.00
22	60	78.69	39.67	118.36	42.60	(-)75.76	72.69
कुल		16,706.01	4,949.91	21,655.92	16,554.24	(-)5,101.69	4,165.39
कुल योग		79,532.45	14,751.99	94,284.44	72,345.80	(-)21,938.65	15,578.22

परिशिष्ट 3.6

पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित विनियमन
(संदर्भ: कंडिका 3.2.7.2)

वर्ष	अनुदान/ विनियोजन की संख्या	अनुदान/ विनियोजन/ विभाग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
2017-18	13	ब्याज भुगतान	193.69
2017-18	15	पेंशन	71.81
2019-20	13	ब्याज भुगतान	120.64
2019-20	15	पेंशन	192.68
2020-21	13	ब्याज भुगतान	144.95
2021-22	13	ब्याज भुगतान	98.89
2021-22	15	पेंशन	189.97
कुल			3,762.49

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

*आधिक्य राशि मात्र ₹ 8,807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 था

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 था

^ आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160 था

परिशिष्ट 3.7

**योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था
लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया**

(संदर्भ: कंडिका 3.3.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
1.		2401-00-102-एस (सीएस)	10.20	
2.		2401-00-102- ए.एस (एसएस)	4.70	
3.		2401-00-102-बीजे (एसएस)	1.50	
4.		2401-00-102-बीयू (एसएस)	1.23	2.46
5.		2401-00-102-बीडब्लू (एसएस)	1.20	2.40
6.		2401-00-103-सी1 (सीएस)	2.40	
7.		2401-00-103-सी1 (एसएस)	1.60	
8.		2401-00-105-एवी (सीएस)	14.70	
9.		2401-00-105- एवी (एसएस)	6.77	
10.		2401-00-109-28 (सीएस)	29.02	
11.		2401-00-109-28 (एसएस)	13.37	
12.		2401-00-114-सी0 (सीएस)	1.20	
13.		2401-00-115-एएफ (सीएस)	61.40	
14.		2401-00-115- एएफ (एसएस)	26.74	
15.		2401-00-115-बीओ (एसएस)	1.95	
16.		2401-00-789-28 (सीएस)	7.26	
17.		2401-00-789-28 (एसएस)	3.34	
18.		2401-00-789-एएफ (सीएस)	15.35	
19.		2401-00-789-एएफ (एसएस)	6.68	
20.		2401-00-789-एस (सीएस)	2.55	
21.	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-789-एस (एसएस)	1.17	
22.		2401-00-789-एवी (सीएस)	3.68	
23.		2401-00-789-एवी (सीएस)	1.69	
24.		2401-00-796-28 (सीएस)	36.28	
25.		2401-00-796-28 (एसएस)	16.71	
26.		2401-00-796-एएफ (सीएस)	76.75	
27.		2401-00-796-एएफ (एसएस)	33.42	
28.		2401-00-796-एस (सीएस)	12.75	
29.		2401-00-796-एस (एसएस)	5.87	
30.		2401-00-796-एवी (सीएस)	18.38	
31.		2401-00-796-एवी (एसएस)	8.47	
32.		2401-00-796-बी1 (एसएस)	549.52	
33.		2401-00-796-बीजे (एसएस)	3.00	
34.		2401-00-796-बीओ (एसएस)	3.90	
35.		2401-00-796-बीयू (एसएस)	2.46	4.92
36.		2401-00-796-बीडब्लू (एसएस)	2.40	4.80
37.		2401-00-796-सी0 (सीएस)	1.50	
38.		2401-00-796-सी0 (एसएस)	1.00	
39.		2401-00-796-सी1(सीएस)	3.00	
40.		2401-00-796-C1(एसएस)	2.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिचय	पुनरीकृत व्यय
41.	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-27(सीएस)	2.52	
42.		2403-00-101-27(एसएस)	1.68	
43.		2403-00-101-67(सीएस)	1.00	
44.		2403-00-101-A5(एसएस)	1.10	
45.		2403-00-102-33(एसएस)	2.00	
46.		2403-00-102-36(एसएस)	1.30	
47.		2403-00-106-08 (एसएस)	1.50	
48.		2403-00-111-84(एसएस)	2.00	
49.		2403-00-789-27(सीएस)	1.68	
50.		2403-00-789-27(एसएस)	1.12	
51.		2403-00-789-एजी(एसएस)	1.44	
52.		2403-00-789-एएल(सीएस)	1.00	
53.		2403-00-796-ए5(एसएस)	1.40	
54.		2403-00-796-एए(एसएस)	3.00	
55.		4403-00-796-23(एसएस)	1.00	
56.		4403-00-796-28(एसएस)	1.00	
57.		3- भवन निर्माण विभाग	4059-01-796-39(सीएस)	31.00
58.	4059-01-796-39(सीएस)		20.00	
59.	4216-01-106-03(एसएस)		1.00	
60.	8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	3053-80-001-09(एसएस)	3.00	
61.		5053-02-102-11(एसएस)	1.50	
62.		5053-02-796-03(एसएस)	5.50	
63.	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2425-00-108-60(एसएस)	3.00	
64.		2425-00-789-60(एसएस)	2.00	
65.		2425-00-796-60(एसएस)	5.00	
66.		6425-00-108-19(एसएस)	30.00	34.50
67.		6425-00-789-19(एसएस)	20.00	23.00
68.		6425-00-796-19(एसएस)	50.00	57.50
69.	10- उर्जा विभाग	2801-80-101-02(स्थापना.)	4.06	
70.		4070-00-003-86(एसएस)	3.13	
71.	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	2070-00-800-08(स्थापना.)	10.00	
72.		2075-00-791-02(स्थापना.)	5.50	
73.	13- ब्याज भुगतान	2049-01-115-01(स्थापना.)	7.00	
74.		2049-60-701-01(स्थापना)	5.00	
75.	14- ऋणों का पूर्णभुगतान	6003-00-101-88(स्थापना)	500.00	
76.		6003-00-101-90(स्थापना)	800.00	
77.	15- पेंशन	2071-01-104-03(स्थापना)	45.00	
78.	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-789-57(एसएस)	1.00	
79.		3456-00-789-76(एसएस)	6.00	
80.	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-101-48(एसएस)	10.00	
81.		2406-01-101-72(एसएस)	5.00	
82.		2406-01-102-63(सीएस)	1.86	
83.		2406-01-102-63(एसएस)	1.24	
84.		2406-01-102-65(सीएस)	1.80	
85.		2406-01-102-65(एसएस)	1.20	
86.		2406-02-110-22(सीएस)	3.00	
87.		2406-02-110-22(एसएस)	2.00	
88.		20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-92 (एसएस)	20.00
89.	2210-01-103-82 (सीएस)		13.64	

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
90.		2210-01-110-62 (सीएस)	2.15	
91.		2210-01-110-62(एसएस)	1.43	
92.		2010-01-110-90(सीएस)	122.07	
93.		2210-01-789-82(एसएस)	2.64	
94.		2210-01-796-64(एसएस)	10.00	
95.		2210-01-796-89(सीएसएस)	115.54	
96.		2210-01-796-90(सीएसएस)	42.89	
97.		2210-05-101-17(सीएस)	4.75	
98.		2210-05-105-16(सीएस)	3.12	
99.		2210-05-105-16(एसएस)	2.08	
100.		4210-01-110-31-(एसएस)	5.00	
101.		4210-01-110-42(सीएस)	1.00	
102.		4210-01-110-49(सीएस)	33.53	
103.		4210-01-110-49(एसएस)	22.36	
104.		2202-03-102-79(सीएस)	38.75	
105.		2202-03-102-B1(एसएस)	3.00	
106.		2202-03-102-B7(एसएस)	30.00	
107.	21- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-B8(एसएस)	3.00	
108.		2202-03-789-79(सीएस)	7.50	
109.		2202-03-796-79(एसएस)	3.75	
110.		2202-03-796-B1(एसएस)	2.00	
111.		4055-00-207-16(एसएस)	1.00	
112.		4055-00-207-19(एसएस)	1.00	
113.		4055-00-207-45(सीएस)	11.65	
114.		4055-00-207-45(एसएस)	6.62	
115.	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-207-83(एसएस)	10.00	
116.		4055-00-207-85(एसएस)	7.00	
117.		4055-00-796-16(एसएस)	1.00	
118.		4055-00-796-83(एसएस)	22.00	
119.		4055-00-796-85(एसएस)	9.00	
120.		2851-00-102-61(एसएस)	1.00	
121.		2852-80-102-10(एसएस)	8.00	
122.		2852-80-102-93(एसएस)	2.00	
123.	23- उद्योग विभाग	2852-80-796-10(एसएस)	2.00	
124.		2852-80-796-89(सीएस)	10.00	
125.		2852-80-796-89(एसएस)	6.39	
126.		2852-80-796-93(एसएस))	6.00	
127.		6851-00-101-02(एसएस)	0.00	9.95
128.		2220-01-796-03(एसएस)	1.00	
129.	24- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	2220-60-106-13(एसएस)	2.00	
130.		2235-60-796-11(एसएस)	2.50	
131.		2230-01-789-47(सीएस)	4.97	
132.		2230-01-789-47(एसएस)	3.31	
133.		2230-01-796-45(सीएस)	5.99	
134.	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	2230-02-101-42(एसएस)	0.00	35.74
135.		2230-02-789-38(एसएस)	50.00	
136.		2230-02-789-39(एसएस)	5.20	
137.		2230-02-789-40(एसएस)	10.86	
138.		2230-02-789-41(एसएस)	17.17	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
139.		2230-02-789-42(एसएस)	0.00	2.90
140.		2230-02-796-42(एसएस)	0.00	44.37
141.		2230-03-796-54(सीएस)	0.40	1.59
142.		4250-00-203-04(सीएस)	6.00	
143.		4250-00-203-04(एसएस)	2.00	
144.		4250-00-796-04(सीएस)	9.00	
145.		4250-00-796-04(एसएस)	3.00	
146.		4250-00-796-09(सीएस)	2.80	
147.		4250-00-796-09(एसएस)	1.20	
148.		4225-80-277-10(एसएस)	1.00	
149.		4225-80-277-20(एसएस)	1.00	
150.	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक प्रभाग)	4225-80-277-23 (एसएस)	8.00	
151.		4225-80-796-20(एसएस)	1.00	
152.		4225-80-796-21(सीएस)	1.00	
153.		4225-80-796-23(एसएस)	12.00	
154.			2053-00-094-34(एसएस)	10.00
155.		2053-00-094-36(एसएस)	1.00	
156.		2053-00-796-33(एसएस)	1.00	
157.	35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-34(एसएस)	14.50	
158.		2053-00-796-36(एसएस)	1.50	
159.		2053-00-796-41(एसएस)	3.00	
160.		3454-02-796-16(एसएस)	1.39	
161.		4215-01-102-10(सीएस)	801.12	
162.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-789-10(सीएस)	274.36	
163.		4215-01-796-10(सीएस)	504.02	
164.	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	2030-02-101-02(स्थापना)	1.00	
165.			2235-01-001-02(स्थापना)	3.00
166.		2235-01-101-06(स्थापना)	5.00	
167.		2245-01-102-02(स्थापना)	10.00	
168.		2245-01-102-03(स्थापना)	20.00	
169.		2245-01-102-04(स्थापना)	1.00	
170.		2245-01-104-01(स्थापना)	1.00	
171.		2245-02-102-02(स्थापना)	1.00	
172.	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-02-104-01(स्थापना)	1.00	
173.		2245-02-106-01(स्थापना)	2.00	
174.		2245-02-107-01(स्थापना)	1.00	
175.		2245-02-109-02(स्थापना)	1.00	
176.		2245-02-112-01(स्थापना)	1.00	
177.		2245-05-101-07(सीएस)	568.00	
178.		2245-05-101-07(एसएस)	130.21	158.40
179.		2245-80-001-22(सीएस)	1.60	
180.	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-796-21(एसएस)	10.00	
181.		3454-01-101-05(सीएस)	1.00	
182.		5054-03-052-06(एसएस)	1.75	
183.	41- पथ निर्माण विभाग	5054-03-796-06(एसएस)	1.87	
184.		5054-03-796-08(एसएस)	15.00	
185.	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-02-101-07(एसएस)	9.80	
186.		2501-02-789-07(एसएस)	3.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिचय	पुनरीक्षित व्यय
187.		2501-02-796-07(एसएस)	7.20	
188.		2501-06-796-14(सीएस)	20.64	
189.		2501-06-796-14(एसएस)	13.76	
190.		2515-00-789-48(सीएस)	20.00	
191.		4515-00-796-47(एसएस)	0.00	4.40
192.		2203-00-004-एड(एसएस)	7.40	
193.		2203-00-004-एजी(एसएस)	3.70	
194.	43- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2203-00-796-ए7(एसएस)	1.30	
195.		2203-00-796-एड(एसएस)	2.60	
196.		2203-00-796-एजी(एसएस)	1.30	
197.		4202-02-105-76(सीएस)	51.60	
198.		2203-00-001-89(एसएस)	2.00	
199.		2203-00-001-ए1(एसएस)	50.00	
200.		2203-00-001एजे(एसएस))	5.00	
201.	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	2203-00-796-89(एसएस)	2.00	
202.		2203-00-796-एआय(एसएस)	10.00	
203.		2203-00-796-एजे(एसएस)	10.00	
204.		4202-02-105-79(एसएस)	10.00	
205.	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन विभाग)	3452-80-104-18(एसएस)	4.00	
206.		3452-80-796-18 (एसएस)	6.00	
207.		3055-00-796-02(एसएस)	3.00	
208.		5055-00-190-23(एसएस)	4.00	
209.		5055-00-190-27(एसएस)	3.73	
210.	47- परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	5055-00-796-19(एसएस)	10.00	
211.		5055-00-796-23(एसएस)	6.00	
212.		5055-00-796-25(एसएस)	5.00	
213.		5055-00-796-27(एसएस)	6.00	
214.		2217-80-191-80(एसएस)	1.00	
215.		2217-80-796-60(सीएस)	8.00	
216.		2217-80-796-60(एसएस)	5.50	
217.	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहरी विकास प्रभाग)	2217-80-796-61(एसएस)	2.00	
218.		2217-80-796-80(एसएस)	1.20	
219.		2217-80-796-A1(एसएस)	2.50	
220.		4217-60-796-50(एसएस)	200.00	
221.		4217-60-796-54(एसएस)	25.00	
222.		4700-80-789-12(सीएस)	55.00	
223.		4700-80-789-12(एसएस)	31.06	
224.	49- जल संसाधन विभाग	4700-80-796-11(एसएस)	1.00	
225.		4700-80-796-12(सीएस)	55.00	
226.		4700-80-796-12(एसएस)	31.06	
227.		2225-01-789-99(एसएस)	2.00	
228.	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	2225-02-277-01(सीएस)	10.00	
229.		2215-02-277-98(एसएस)	2.00	
230.		4225-01-789-02(सीएस)	2.00	
231.		4225-01-789-02(एसएस)	2.00	
232.		4225-03-796-02(सीएस)	1.00	
233.		4225-03-796-02(एसएस)	1.00	
234.		52- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा	2204-00-104-58(एसएस)	4.00
235.	2204-00-796-58(एसएस)		6.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिचय	पुनरीक्षित व्यय
236.	कार्य प्रभाग)	4202-03-102-22(एसएस)	20.00	
237.		4202-03-796-21(एसएस)	1.40	
238.		4202-03-796-22(एसएस)	30.00	
239.	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	2405-00-101-78(एसएस)	3.50	
240.		2405-00-101-79(एसएस)	1.15	
241.		2405-00-796-78(एसएस)	2.20	
242.		4405-00-101-58(सीएस)	2.40	
243.		4405-00-101-58(एसएस)	1.60	
244.		4405-00-101-65(एसएस)	1.20	
245.		2404-00-102-73(सीएस)	3.60	
246.	2404-00-102-73(एसएस)	3.60		
247.	2404-00-102-74(सीएस)	1.32		
248.	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-74(एसएस)	1.32	
249.		2404-00-102-76(सीएस)	1.20	
250.		2404-00-102-76(एसएस)	1.20	
251.		2404-00-796-73(सीएस)	1.62	
252.		2404-00-796-73(एसएस)	1.62	
253.		2515-00-001-83(एसएस)	0.00	40.00
254.	2515-00-102-81(एसएस)	5.00		
255.	2515-00-789-81(एसएस)	1.00		
256.	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-789-83(एसएस)	0.00	10.00
257.		2515-00-796-81(एसएस)	5.00	
258.		2515-00-796-83(एसएस)	0.00	50.00
259.		4515-00-103-44(एसएस)	1.00	
260.		4515-00-796-44(एसएस)	1.00	
261.	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-109-04(स्थापना)	0.10	1.00
262.		2515-00-001-42(एसएस)	3.00	
263.		2515-00-001-56(सीएस)	20.00	
264.		2515-00-001-56(एसएस)	15.00	
265.		2515-00-001-73(एसएस)	15.00	
266.		2515-00-101-75(एसएस)	50.00	
267.		2515-00-001-76(एसएस)	1.50	
268.		2515-00-789-42(एसएस)	2.00	
269.		2515-00-789-56(सीएस)	10.00	
270.		2515-00-789-56(एसएस)	5.00	
271.	2515-00-789-73(एसएस)	5.00		
272.	2515-00-789-75(एसएस)	5.00		
273.	2515-00-796-42(एसएस)	5.00		
274.	2515-00-796-56(सीएस)	30.00		
275.	2515-00-796-56(एसएस)	20.00		
276.	2515-00-796-73(एसएस)	25.00		
277.	2515-00-796-75(एसएस)	15.00		
278.	2515-00-796-76(एसएस)	2.00		
279.	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-86(एसएस)	3.00	
280.		2202-02-789-18(एसएस)	3.40	
281.		2202-02-789-64(एसएस)	1.70	
282.		2202-02-789-68(एसएस)	15.30	
283.		2202-02-789-86(एसएस)	1.00	
284.		2202-02-796-64(एसएस)	3.30	

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीकित व्यय
285.		2202-02-796-81(एसएस)	1.65	
286.		2202-02-796-86(एसएस)	2.00	
287.		2202-05-200-05(सीएस)	2.10	
288.		2202-05-200-05(एसएस)	1.40	
289.		2202-05-796-05(सीएस)	1.40	
290.	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-63(एसएस)	5.70	
291.		2202-01-789-63(एसएस)	1.50	
292.		2202-01-796-63(एसएस)	2.80	
293.	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-102-47(सीएस)	1.61	
294.		2235-02-102-47(एसएस)	1.08	
295.		2235-02-102-48(सीएस)	5.53	5.77
296.		2232-02-102-48(एसएस)	3.69	3.85
297.		2235-02-102-53(सीएस)	1.54	
298.		2235-02-103-75(सीएस)	1.74	2.16
299.		2235-02-103-75(एसएस)	1.16	1.44
300.		2235-02-789-एएच(एसएस)	3.30	
301.		2235-02-796-47(सीएस)	1.75	
302.		2235-02-796-47(एसएस)	1.16	
303.		2235-02-796-48(सीएस)	5.99	6.25
304.		2235-02-796-48(एसएस)	3.99	4.16
305.		2235-02-796-53(सीएस)	1.68	
306.		2235-02-796-53(एसएस)	1.12	
307.		2235-02-796-75(सीएस)	2.01	2.30
308.		2235-02-796-75(एसएस)	1.34	1.53
309.		2235-02-796-B6(सीएस)	0.00	12.35
310.	2235-02-796-B6(एसएस)	0.00	37.04	
311.	4235-02-101-78(सीएस)	32.69		
312.	4235-02-106-74(एसएस)	2.40		
313.	4235-02-796-78(सीएस)	40.00		
कुल			6,950.13	564.78

परिशिष्ट 3.8
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 3.4)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मार्च	4थी तिमाही का योग	वित्तीय वर्ष का योग	मार्च के व्यय का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता	4थी तिमाही के योग का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता
1	4235	42.60	42.60	42.60	100	100
2	4416	0.68	0.68	0.68	100	100
3	5475	1.25	1.25	1.25	100	100
4	4404	0.05	0.63	0.63	7.94	100
5	4408	3.03	39.94	39.94	7.58	100
6	4402	442.43	456.15	456.15	96.99	100
7	4202	374.35	967.03	1,011.79	37.00	95.58
8	5452	63.82	74.14	78.13	81.68	94.89
9	4403	4.39	8.76	9.29	47.28	94.36
10	4405	11.16	15.73	16.72	66.73	94.11
11	2236	0.00	332.94	357.67	0.00	93.09
12	3451	432.61	441.79	492.66	87.81	89.67
13	4401	12.45	13.45	15.03	82.83	89.49
14	3452	42.97	55.97	64.53	66.59	86.74
15	4055	313.86	320.23	372.95	84.16	85.86
16	2425	394.26	401.78	483.73	81.50	83.06
17	3053	3.96	5.83	7.06	56.17	82.62
18	4070	7.52	8.52	10.42	72.20	81.80
19	4225	584.61	655.86	848.34	68.91	77.31
20	5055	9.74	14.09	18.36	53.03	76.78
21	2401	472.91	669.43	909.17	52.02	73.63
22	2216	11.41	13.84	19.10	59.76	72.49
23	4217	383.89	496.67	721.66	53.20	68.82
24	2217	1,087.50	1,295.31	1,945.13	55.91	66.59
25	4210	310.05	409.44	624.50	49.65	65.56
26	2204	29.62	50.02	76.79	38.58	65.14
27	2405	51.85	72.51	112.97	45.90	64.19
28	4250	14.82	16.04	25.13	59.00	63.82
29	4702	85.41	162.66	257.78	33.13	63.10
30	4515	725.37	1,370.25	2,219.58	32.68	61.73
31	2852	94.23	112.04	185.51	50.80	60.40
32	4047	2.02	3.70	6.22	32.43	59.56
33	4059	193.54	285.63	483.39	40.04	59.09
34	3054	166.76	217.83	376.99	44.23	57.78
35	5053	0.05	29.62	52.81	0.10	56.09
36	2404	11.29	44.73	79.78	14.15	56.07
37	4701	242.54	396.15	714.76	33.93	55.42
38	2053	100.82	204.77	381.40	26.43	53.69
39	4215	276.25	972.26	1,840.08	15.01	52.84
40	4711	11.19	21.68	42.28	26.46	51.29
कुल		7,017.26	10,701.95	15,402.96		

परिशिष्ट 3.9
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 3.5.6)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	व्यय	अनुपूरक
1	2401-00-102-बीएस	6.29	0.21	6.29
2	2401-00-102-बीयू	1.23	0.00	1.23
3	2401-00-102-बीडब्ल्यू	1.20	0.00	1.20
4	2401-00-102-बीएक्स	6.00	3.00	6.00
5	2401-00-103-01	4.30	3.61	0.32
6	2401-00-105-01	1.01	0.85	0.10
7	2401-00-108-01	0.08	0.04	0.05
8	2401-00-109-01	80.97	69.92	3.00
9	2401-00-789-बीआर	6.00	3.09	6.00
10	2401-00-789-बीएस	2.10	0.06	2.10
11	2401-00-789-बीटी	14.70	8.57	14.70
12	2401-00-789-बीयू	0.41	0.00	0.41
13	2401-00-789-बीवी	2.50	2.50	2.50
14	2401-00-789-बीडब्ल्यू	0.40	0.00	0.40
15	2401-00-789-बीएक्स	2.00	1.00	2.00
16	2401-00-796-बीआर	36.00	23.33	36.00
17	2401-00-796-बीएस	12.60	0.82	12.60
18	2401-00-796-बीटी	92.40	53.15	92.40
19	2401-00-796-बीयू	2.46	0.00	2.46
20	2401-00-796-बीडब्ल्यू	2.40	0.00	2.40
21	2401-00-796-बीएक्स	12.00	6.00	12.00
22	2415-01-277-02	1.75	1.42	0.36
23	2435-01-102-02	1.43	1.36	0.20
24	3451-00-090-07	5.99	5.87	0.11
कुल		296.22	184.80	204.83

परिशिष्ट 3.10
सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 3.5.7)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण (प्रतिशत में)	अभियुक्ति
1	2401-00-102-बीजे	1.50	0.00	1.50	100	गन्ना विकास के लिए योजना
2	2401-00-102- बीडब्ल्यू	2.40	0.00	2.40	100	विभाग ने आई.टी एवं परामर्श की स्थापना
3	2401-00-103-सी1	2.40	0.00	2.40	100	बीज और पोषण सामाग्री पर प्रस्तुतीकरण
4	2401-00-103-सी1	1.60	0.00	1.60	100	बीज और पोषण सामाग्री पर प्रस्तुतीकरण
5	2401-00-105-एवी	14.70	0.00	14.70	100	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना
6	2401-00-105- एवी	6.77	0.00	6.77	100	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना
7	2401-00-109-28	29.02	0.00	29.02	100	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम
8	2401-00-109-28	13.37	0.00	13.37	100	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम
09	2401-00-115-बीओ	1.95	0.00	1.95	100	किसान समृद्धि योजना
10	2401-00-789-28	7.26	0.00	7.26	100	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम
11	2401-00-789-28	3.34	0.00	3.34	100	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम
12	2401-00-789-एवी	3.68	0.00	3.68	100	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना
13	2401-00-789-एवी	1.69	0.00	1.69	100	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना
14	2401-00-789-बीजे	0.50	0.00	0.50	100	गन्ना विकास के लिए योजना
15	2401-00-789-बीओ	0.65	0.00	0.65	100	किसान समृद्धि योजना
16	2401-00-789-डब्ल्यू	0.80	0.00	0.80	100	विभाग में सूचना प्राथमिकी एवं परामर्श की स्थापना
17	2401-00-789-सी1	0.60	0.00	0.60	100	मृदा एवं जल संरक्षण योजना
18	2401-00-789-सी1	0.40	0.00	0.40	100	मृदा एवं जल संरक्षण योजना
19	2401-00-796-28	36.28	0.00	36.28	100	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम
20	2401-00-796-28	16.71	0.00	16.71	100	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम
21	2401-00-796-एवी	18.38	0.00	18.38	100	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना
22	2401-00-796-एवी	8.47	0.00	8.47	100	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना
23	2401-00-796- बीआई	549.52	0.00	549.52	100	किसानों के लिए ऋण माफी योजना
24	2401-00-796-बीजे	3.00	0.00	3.00	100	गन्ना विकास के लिए योजना
25	2401-00-796-बीओ	3.90	0.00	3.90	100	किसान समृद्धि योजना
26	2401-00-796- बीडब्ल्यू	4.80	0.00	4.80	100	विभाग में सूचना प्राथमिकी एवं परामर्श की स्थापना
27	2401-00-796-सी1	3.00	0.00	3.00	100	मृदा एवं जल संरक्षण योजना
28	2401-00-796-सी1	2.00	0.00	2.00	100	मृदा एवं जल संरक्षण योजना
कुल		738.69	0.00	738.69		

परिशिष्ट 3.11

नमूना-जाँच जिलों में सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 3.5.7)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला का नाम	कार्यालयों/प्रमण्डलों का नाम	उप-शीर्षों की संख्या जिसमें अभ्यर्पण किया गया	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण
1	राँची	उपनिदेशक, कृषि निदेशालय का कार्यालय	06	123.70	0.00	123.70
		भू-संरक्षण निदेशालय	04	4.01	0.00	4.01
		जिला कृषि पदाधिकारी	08	27.17	0.00	27.17
		जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी	02	558.42	0.00	558.42
2	पलामू	जिला कृषि पदाधिकारी	12	56.23	0.00	56.23
		जिला उद्यान पदाधिकारी	06	22.15	0.00	22.15
		जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी	01	0.10	0.00	0.10
3	धनबाद	जिला कृषि पदाधिकारी	08	6.95	0.00	6.95
		जिला उद्यान पदाधिकारी	32	130.84	0.00	130.84
4	साहिबगंज	जिला कृषि पदाधिकारी	05	17.19	0.00	17.19
		जिला उद्यान पदाधिकारी	18	37.81	0.00	37.81
5	गोड्डा	जिला कृषि पदाधिकारी	02	0.15	0.00	0.15
6	देवघर	जिला कृषि पदाधिकारी	07	15.06	0.00	15.06
7	दुमका	जिला कृषि पदाधिकारी	11	49.64	0.00	49.64
		जिला उद्यान पदाधिकारी	03	0.30	0.00	0.30
		सहायक मृदा केमिस्ट	01	0.50	0.00	0.50
8	चतरा	उप-प्रमंडलीय कृषि पदाधिकारी	08	7.96	0.00	7.96
कुल			134	1,058.18	0.00	1,058.18

परिशिष्ट 3.12
वित्तीय वर्ष के अंत में राशि का अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 3.5.8)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालयों/प्रमण्डलों का नाम	कार्य/उप-शीर्षों की संख्या जिसमें अभ्यर्पण किया गया	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण की तिथि
1	राँची	उपनिदेशक, कृषि निदेशालय का कार्यालय	10	184.33	38.50	145.83 (47 से 100%)	31.03.23
		भू-संरक्षण निदेशालय	04	4.01	0.00	4.01 (100%)	31.03.23
		जिला कृषि पदाधिकारी	12	104.45	16.73	87.72 (42 से 100%)	31.03.23
		जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी	02	558.42	0.00	558.42 (100%)	31.03.23
2	पलामू	जिला कृषि पदाधिकारी	21	186.00	54.50	131.50 (37 से 100%)	31.03.23
		जिला उद्यान पदाधिकारी	07	22.95	0.37	22.58 (54 से 100 %)	31.03.23
		जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी	02	3.81	1.14	2.67 (47 एवं 73 %)	31.03.23
3	धनबाद	जिला कृषि पदाधिकारी	11	10.10	1.06	9.04 (62 से 100 %)	31.03.23
		जिला उद्यान पदाधिकारी	47	205.50	26.12	179.38 (50 से 100 %)	31.03.23
4	साहिबगंज	जिला कृषि पदाधिकारी	05	17.19	0.00	17.19 (100 %)	31.03.23
		जिला उद्यान पदाधिकारी	22	95.33	27.81	67.52 (38 से 100%)	31.03.23
5	गोड्डा	जिला कृषि पदाधिकारी	06	20.04	9.26	10.78 (52 से 100%)	31.03.23
6	देवघर	जिला कृषि पदाधिकारी	06	7.36	0.00	7.36 (100%)	31.03.23
7	दुमका	जिला कृषि पदाधिकारी	13	64.21	8.82	55.39 (31 से 100%)	31.03.23
		जिला उद्यान पदाधिकारी	06	335.37	170.83	164.54 (46 से 100%)	31.03.23
		सहायक मृदा केमिस्ट	02	0.70	0.13	0.57 (81%)	31.03.23
8	चतरा	उप-प्रमंडलीय कृषि पदाधिकारी	08	7.96	0.00	7.96 (100%)	31.03.23
कुल			184	1,827.73	355.27	1,472.46 (81%)	

परिशिष्ट 3.13
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 3.5.9)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	सचिवालय/ प्रमंडल/ कार्यालय	लेखे शीर्ष/ उप-शीर्ष की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
1	राँची	सरकार पक्ष	2401-00-796-बीएस	82.39	29.78	36
			2401-00-796-एक्स	250.43	96.37	38
			2401-00-796-बीए	3,926.71	1,511.33	38
			2401-00-789-बीए	610.00	235.00	39
			2401-00-102-बीटी	4,451.95	1,809.23	41
			2415-01-277-06	8,903.31	4,403.31	49
			2415-80-277-15	1,981.89	981.89	50
			2401-00-796-एजी	2,651.00	1,325.49	50
			2401-00-109- एजी	750.00	375.00	50
			2401-00-789- एजी	250.00	125.00	50
			2401-00-789- एजी	441.84	220.92	50
			2401-00-796- एजी	1,500.00	750.00	50
			2415-80-796-17	294.00	147.00	50
			2401-00-109- एजी	1,325.54	662.78	50
			3451-00-101-12	250.00	162.02	65
			2401-00-109- एक्स	251.08	186.82	74
			2401-00-789- एक्स	63.96	54.13	85
			4401-00-796-12	1,180.00	1,080.00	92
			2401-00-113-एटी	260.85	245.70	94
			2401-00-113- एटी	173.90	163.80	94
			2401-00-796- एटी	521.04	491.40	94
			2401-00-796- एटी	347.36	327.60	94
			2401-00-102-बीजी	1,370.44	1,296.27	95
			2401-00-789- एटी	86.51	81.90	95
			2401-00-789- एटी	57.67	54.60	95
			4402-00-796-03	27,137.71	26,023.92	96
			4402-00-102-03	13,945.56	13,686.74	98
			2401-00-102-एओ	37.50	37.50	100
			2401-00-102- एओ	25.00	25.00	100
			2401-00-102-बीआई	22,427.40	22,427.40	100
			2401-00-102-बीएक्स	300.00	300.00	100
			2401-00-104-बीपी	900.00	900.00	100
			2401-00-113-सी2	1,916.04	1,916.04	100
			2401-00-789-एओ	12.50	12.50	100
2401-00-789-एओ	8.33	8.33	100			
2401-00-789-बीपी	300.00	300.00	100			
2401-00-789-बीएक्स	100.00	100.00	100			
2401-00-789-सी2	479.01	479.01	100			
2401-00-796- एओ	75.00	75.00	100			
2401-00-796- एओ	50.00	50.00	100			
2401-00-796- बीपी	1,800.00	1,800.00	100			

क्र. सं.	जिला का नाम	सचिवालय/ प्रमंडल/ कार्यालय	लेखे शीर्ष/ उप-शीर्ष की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
			2401-00-796-बीएक्स	600.00	600.00	100
			2401-00-796-सी2	2,395.05	2,395.05	100
			4402-00-789-03	4,532.09	4,532.09	100
			कुल	1,09,023.06	92,485.92	
			इकाई-वार विवरण			
		उपनिदेशक, कृषि निदेशालय का कार्यालय, राँची	15	30,734.06	27,351.55	38 से 100
		भू-संरक्षण निदेशालय	07	529.93	298.58	86 से 94
		जिला कृषि पदाधिकारी	04	22.60	13.43	48 से 100
		जिला उद्यान पदाधिकारी	08	0.99	0.87	37 से 100
2	पलामू	जिला कृषि पदाधिकारी	03	9.97	4.46	36 से 100
		जिला उद्यान पदाधिकारी	02	421.82	141.97	26 से 36
		जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी	02	1.30	0.96	64 एवं 100
3	धनबाद	जिला कृषि पदाधिकारी	03	16.15	4.17	23 से 33
4	साहिबगंज	जिला कृषि पदाधिकारी	03	1.90	1.44	66 से 100
5	गोड्डा	जिला कृषि पदाधिकारी	05	701.29	539.78	37 से 100
		जिला उद्यान पदाधिकारी	06	250.23	71.39	28 से 100
6	देवघर	जिला कृषि पदाधिकारी	08	210.36	146.93	33 से 100
		जिला उद्यान पदाधिकारी	03	0.30	0.30	100
7	दुमका	जिला कृषि पदाधिकारी	05	17.29	12.55	51 से 100
		जिला उद्यान पदाधिकारी	05	191.45	133.62	43 से 100
			कुल	79	33,109.64	28,722.00

परिशिष्ट 3.14
बैंक खातों में जमा राशि
(संदर्भ: कंडिका 3.5.11)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	खातों की प्रकृति	बैंक खातों में जमा राशि	अभियुक्ति
1	राँची	उद्यान निदेशालय	एसबीआई, राँची	11049002433	चालू	61.43	
			पीएनबी, राँची	1091002100025348	चालू	11.10	
		भू-संरक्षण निदेशालय	एसबीआई, राँची	30727204393	चालू	8.55	
			बीओआई, राँची	496410110001620	चालू	0.63	
			यूबीआई, राँची	722501010050028	चालू	620.98	
			एचडीएफसी, राँची	50100384566230 (एसएनए)	बचत	2,070.77	
		जिला कृषि पदाधिकारी	एसबीआई, राँची	11049000774	चालू	206.47	
		जिला उद्यान पदाधिकारी	एसबीआई, राँची	11049002783	चालू	136.99	
			आईडीबीआई, राँची	110110400025276	बचत	1.83	
			बीओआई, राँची	496410110004514	बचत	0.79	
2	पलामू	जिला कृषि पदाधिकारी	एसबीआई, पलामू	11112105564	बचत	229.97	
			जेआरबीजी, पलामू	1420106403	बचत	0.23	
			जेआरजीबी, पलामू	84016325314	बचत	8.18	
			एक्सिस बैंक, पलामू	916010056679831	बचत	11.40	
3	धनबाद	जिला कृषि पदाधिकारी	एसबीआई, धनबाद	10900474189	चालू	23.47	
		जिला उद्यान पदाधिकारी	बीओआई, धनबाद	474810100000164	बचत	62.37	
4	साहिबगंज	जिला कृषि पदाधिकारी	एसबीआई, साहिबगंज	11466070352	बचत	161.49	
			आईडीबीआई, साहिबगंज	2068102000000080	चालू	86.22	
			झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक, साहिबगंज	14075001174	चालू	0.49	
		जिला उद्यान पदाधिकारी	एसबीआई, साहिबगंज	11466047834	चालू	85.61	जी. आर. एन. संख्या 2317671779 दिनांक 10.06.23 के द्वारा ₹ 85.61 लाख कोषागार में प्रेषित
		आईडीबीआई, साहिबगंज	20681026000000903	चालू	35.64		
5	गोड्डा	जिला कृषि पदाधिकारी	एसबीआई, गोड्डा	11093460366	बचत	6.87	₹ 3.27 लाख सितम्बर 2023 के दौरान कोषागार में प्रेषित
		जिला उद्यान पदाधिकारी	आईडीबीआई, गोड्डा	728102000004787	चालू	17.94	
			एसबीआई, गोड्डा	11093459850	चालू	5.20	
			इलाहाबाद (इंडियन) बैंक	20681204567	चालू	1.02	
			जेआरजीबी, गोड्डा	14071083378	बचत	0.40	

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	खार्तो की प्रकृति	बैंक खार्तो में जमा राशि	अभियुक्ति
6	देवघर	जिला कृषि पदाधिकारी	एक्सिस बैंक		बचत	18.84	
		जिला उद्यान पदाधिकारी	एसबीआई, देवघर	11240650168	चालू	17.51	चालान संख्या 127/दिनांक 29.05.23 द्वारा शेष राशि कोषागार में प्रेषित
			आईडीबीआई, देवघर	07281000003209	चालू	1.88	
			इलाहाबाद (इंडियन) बैंक	6730591157	चालू	37.00	चालान संख्या 346/दिनांक 31.07.23 द्वारा शेष राशि कोषागार में प्रेषित
			इलाहाबाद बैंक (पुराना)	4759		0.12	
7	दुमका	जिला कृषि पदाधिकारी	एक्सिस बैंक, दुमका	911010041095829	बचत	2.16	
			एक्सिस बैंक, दुमका	917010063725807	बचत	72.89	
		जिला उद्यान पदाधिकारी	यूनियन बैंक, दुमका	573902050000064	बचत	16.63	
8	चतरा	उप-प्रमंडलीय कृषि पदाधिकारी	एसबीआई, चतरा	11475682208	चालू	484.60	
			बीओआई, चतरा	589420110000028	चालू	149.76	
कुल						4,585.43	143.39

परिशिष्ट 3.15
लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होना
(संदर्भ: कंडिका 3.5.13)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्य घटकों का नाम	विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	निधि का आवंटन (₹ लाख में)	उपलब्धि	उपलब्धि में कमी
1	डीएचओ, राँची	युवाओं का 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण	20 सं.	3.50	12 सं.	08 सं. (40%)
		कीट रहित सब्जी उत्पादन (ओ.एस.पी.)	25 सं.	56.25	00	25 सं. (100%)
		गृह वाटिका की स्थापना	30 सं.	12.00	00	30 सं. (100%)
		संरक्षित फूलों की खेती (ओ.एस.पी.)	1.5 हेक्टेयर	99.00	00	1.5 हेक्टेयर (100%)
		पपीता की खेती	35000 सं.	3.50	22500	12500 सं. (36%)
		पॉली हाउस की स्थापना (ओएसपी)	2000 वर्गमीटर	15.90	00	2000 वर्गमीटर (100%)
		वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीर्णोद्धार नर्सरियो में पौध प्रसारण का संचालन एवं रख-रखाव	02 सं.	10.00	00	02 सं. (100%)
		गुणवत्ता युक्त सब्जी, फूल आदि का उत्पादन	40 सं.	90.00	00	40 सं. (100%)
2	डीएचओ, साहिबगंज	शेडनेट हाउस ट्यूबलर स्ट्रक्चर	4000 वर्गमीटर	14.20	0.00	4000 वर्गमीटर (100%)
		रायपेनिंग चेंबर	10 इकाई	5.00	0.00	10 इकाई (100%)
		प्रीजर्वेशन इकाई	18 इकाई	18.00		18 इकाई (100%)
		कम लागत प्याज भंडारण	1 इकाई	0.88	0.00	1 इकाई (100%)
3	डीएचओ, गोड्डा	हाईटेक नर्सरी की स्थापना (एससीएसपी)	04 सं.	40.00	0.00	04 सं. (100%)
		छोटी नर्सरी की स्थापना (ओएसपी)	01 सं.	7.50	0.00	01 सं. (100%)
		आम फलबाग की स्थापना (ओएसपी)	90 हेक्टेयर	6.89	35 हेक्टेयर	55 हेक्टेयर (61%)
		निम्बू फलबाग की स्थापना (ओएसपी)	06 हेक्टेयर	0.99	1.62 हेक्टेयर	4.38 हेक्टेयर (73%)
		मसाला की खेती (ओएसपी)	50 हेक्टेयर	6.00	33.57 हेक्टेयर	16.43 हेक्टेयर (33%)
		नेचुरली वेंटीलेटेड ट्यूबलर संरचना की स्थापना (ओएसपी)	2000 वर्गमीटर	10.60	0.00	2000 वर्गमीटर (100%)
		शेडनेट हाउस ट्यूबलर स्ट्रक्चर (ओएसपी)	5000 वर्गमीटर	17.75	0.00	5000 वर्गमीटर (100%)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्य घटकों का नाम	विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	निधि का आवंटन (₹ लाख में)	उपलब्धि	उपलब्धि में कमी
		शेडनेट हाउस ट्यूबलर स्ट्रक्चर (एससीएसपी)	1000 वर्गमीटर	3.55	0.00	1000 वर्गमीटर (100%)
		रायपेनिंग चेंबर (ओएसपी)	10 इकाई	5.00	0.00	10 इकाई (100%)
		रायपेनिंग चेंबर (एससीएसपी)	03 इकाई	1.50	0.00	03 इकाई (100%)
		वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थापित फलबाग का रख-रखाव (ओएसपी)	164 हेक्टेयर	4.19	0.00	164 हेक्टेयर (100%)
4	डीएचओ, देवघर	कीट रहित सब्जी उत्पादन (ओ.एस.पी)	09 सं.	20.25	02	07 सं. (78%)
		संरक्षित फूलों की खेती (ओ.एस.पी.)	0.9 हेक्टेयर	59.40	00	0.9 हेक्टेयर (100%)
		पॉली हाउस की स्थापना (ओएसपी)	1000 वर्गमीटर	7.95	00	1000 वर्गमीटर (100%)
		वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीर्णोद्धार नर्सरियो में पौध प्रसारण का संचालन एवं रख-रखाव (ओएसपी)	01 हेक्टेयर	5.00	01 हेक्टेयर	01 हेक्टेयर (100%)
		पपीता की खेती (एससीएसपी)	5000 सं.	0.50	00	5000 हेक्टेयर (100%)
		वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीर्णोद्धार नर्सरियो में पौध प्रसारण का संचालन एवं रख-रखाव (ओएसपी)	01 सं.	5.00	00	01 सं. (100%)
		कीट रहित सब्जी उत्पादन (ओएसपी)	03 सं.	6.75	00	03 सं. (100%)
5	डीएचओ, दुमका	कीट रहित सब्जी उत्पादन (टी.एस.पी.)	20 सं.	45.00	00	20 सं. (78%)
		संरक्षित फूलों की खेती (टी.एस.पी)	0.9 हेक्टेयर	59.40	00	0.9 हेक्टेयर (100%)
		पॉली हाउस की स्थापना (टी.एस.पी)	2000 वर्गमीटर	15.90	00	1000 वर्गमीटर (100%)
कुल				657.35		

परिशिष्ट 3.16
अपूर्ण योजनाओं में अवरुद्ध पूँजी
(संदर्भ: कंडिका 3.6.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम/ कार्य	कार्य का अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में व्यय की प्रगति	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण तिथि
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग						
1	चंद्रपुरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना	8.83	2020	93	7.81	
2	छत्तरपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना	68.18	2021	87	44.59	
3	पांडू ग्रामीण जलापूर्ति योजना	4.36	2020	40	0.90	
4	पांकी ग्रामीण जलापूर्ति योजना	41.36	2021	95	40.26	
5	निमिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना	12.65	2022	50	2.70	
6	धनबाद जिला में खेराबेरा चेकडैम ग्रामीण जलापूर्ति योजना	6.73	2018	60	5.65	
7	बगोदरडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना	14.82	2019	95	12.00	
8	गिरिडीह प्रखंड में गादी श्रीरामपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना	25.70	2020	94	23.71	
9	डुमरी प्रखंड में कुलगो ग्रामीण जलापूर्ति योजना	17.41	2020	92	12.96	
10	बडकागांव ग्रामीण जलापूर्ति योजना	6.04	2020	71	3.30	
11	चंदवारा बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना	42.44	2020	95	40.19	
12	मर्गामुन्डा ग्रामीण जलापूर्ति योजना	103.96	2021	40	30.04	
13	चित्रा ग्रामीण जलापूर्ति योजना	14.96	2016	95	16.91	18.49 / 14-09-2020
14	कपाली का पुनर्गठन ग्रामीण जलापूर्ति योजना	18.23	2020	85	13.22	
15	चांडिल का पुनर्गठन ग्रामीण जलापूर्ति योजना	15.00	2020	85	11.68	
कुल		400.67			265.92	18.49

परिशिष्ट 3.17
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 3.6.9)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	डी डब्ल्यू & एस. प्रमंडल	2022-23 में व्यय	मार्च 2023 में व्यय	प्रतिशत में
1	राँची	राँची पूर्व	144.62	24.00	16.60
2		राँची पश्चिम	57.15	16.29	28.50
3	पश्चिम सिंहभूम	चाईबासा	66.04	47.75	72.30
4		चक्रधरपुर	57.65	48.06	83.37
5	सरायकेला- खरसावा	सरायकेला-खरसावा	76.63	24.40	31.84
6		आदित्यपुर	111.57	13.03	11.68
7	धनबाद	धनबाद-1	21.56	11.20	51.95
8		धनबाद-2	46.73	20.14	43.10
9	गिरिडीह	गिरिडीह -1	178.91	102.47	57.27
10		गिरिडीह -2	243.69	82.55	33.88
11	दुमका	दुमका-1	71.82	22.58	31.44
12		दुमका-2	216.76	48.64	22.44
13	देवघर	देवघर	126.55	9.70	7.66
14		मधुपूर	212.56	53.93	25.37
15	साहिबगंज	साहिबगंज	167.59	49.07	29.28
कुल			1,799.83	573.81	31.88

परिशिष्ट 3.18
निधि का अनुपयोग
(सन्दर्भ: कंडिका 3.6.11)

	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		बचत की सीमा (प्रतिशत में)
	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	
1. 2215-01-102-10-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम									
बजट	0	97.47	530.37	370	710.08	304.3	0	0	29.98 तथा 80.44 के बीच
कुल बजट	97.47		900.37		1014.4				
बचत	0	29.22	449.68	214.2	710.08	105.92	0	0	
कुल बचत (प्रतिशत)	29.22 (29.98)		663.89 (73.74)		816 (80.44)		0		
2. 2215-01-789-11-ग्रामीण स्वच्छता (एनबीए)									
बजट	123.06	84.73	60	0	59.32	8.5	51	8.5	62.77 तथा 99.73 के बीच
कुल बजट	207.79		60		67.82		59.5		
बचत	123.06	84.17	37.66	0	59.32	1.11	42.18	2.62	
कुल बचत (प्रतिशत)	207.23 (99.73)		37.66 (62.77)		60.43 (89.10)		44.80 (75.29)		
3. 2215-01-796-10-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम									
बजट	0	68.41	174.03	130	446.74	191.5	0	0	51.92 तथा 75.13 के बीच
कुल बजट	68.41		304.03		638.2		0		
बचत	0	35.51	118.27	50.72	446.74	32.76	0	0	
कुल बचत (प्रतिशत)	35.51 (51.92)		168.99 (55.58)		479.50 (75.13)		0		
4. 2215-01-796-11-ग्रामीण स्वच्छता (एनबीए)									
बजट	123.78	59.13	84		80.25	11.5	69	11.5	62.11 तथा 100 के बीच
कुल बजट	182.91		84		90.75		80.5		
बचत	123.78	59.13	57.49		80.25	1.18	50	0	
कुल बचत (प्रतिशत)	182.91 (100)		57.49 (68.44)		81.43 (89.73)		50 (62.11)		
5. 2215-02-107-11-ग्रामीण स्वच्छता (एनबीए)									
बजट	0	0	256	32	209.36	30	0	0	97.23 तथा 100 के बीच
कुल बजट	0		288		239.36		0		
बचत	0	0	252.08	27.94	209.36	30	0	0	
कुल बचत (प्रतिशत)	0		280.02 (97.23)		239.36 (100)		0		
6. 4215-01-796-02-ग्रामीण जल आपूर्ति योजना									
बजट	उपलब्ध नहीं	210.9	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं	141.2	उपलब्ध नहीं	63.9	15.93 तथा 58.61 के बीच
कुल बजट	210.9		0		141.22		63.9		
बचत	उपलब्ध नहीं	33.6	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं	82.76	उपलब्ध नहीं	36.86	
कुल बचत (प्रतिशत)	33.60 (15.93)		0		82.76 (58.60)		36.86 (57.68)		
7. 4215-01-796-03-ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (कुआं तथा बोरिंग से)									
बजट	उपलब्ध नहीं	5.8	उपलब्ध नहीं	100	उपलब्ध नहीं	108	उपलब्ध नहीं	25	9.59 तथा 100 के बीच
कुल बजट	5.8		100		108		25		
बचत	उपलब्ध नहीं	5.61	उपलब्ध नहीं	100	उपलब्ध नहीं	19.97	उपलब्ध नहीं	6.87	

	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		बचत की सीमा (प्रतिशत में)
	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	
कुल बचत (प्रतिशत)	5.61 (96.72)		100 (100)		19.97 (18.49)		6.87 (27.48)		
8. 4215-01-102-03-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (कुआं तथा बोरिंग से)									
बजट	उपलब्ध नहीं	4.2	उपलब्ध नहीं	70	उपलब्ध नहीं	80.73	उपलब्ध नहीं	22	13.24 तथा 100 के बीच
कुल बजट	4.2		70		80.73		22		
बचत	उपलब्ध नहीं	4.2	उपलब्ध नहीं	70	उपलब्ध नहीं	10.69	उपलब्ध नहीं	6.6	
कुल बचत (प्रतिशत)	4.2 (100)		70 (100)		10.69 (13.24)		6.6 (30)		
9. 4215-01-102-02-ग्रामीण जलापूर्ति योजना									
बजट	उपलब्ध नहीं	322.6	उपलब्ध नहीं	207.5	उपलब्ध नहीं	205	उपलब्ध नहीं	102.52	27.93 तथा 43.72 के बीच
कुल बजट	322.55		207.52		205.02		102.52		
बचत	उपलब्ध नहीं	141	उपलब्ध नहीं	66.52	उपलब्ध नहीं	57.26	उपलब्ध नहीं	28.98	
कुल बचत (प्रतिशत)	141.02 (43.72)		66.52 (32.05)		57.26 (27.93)		28.98 (28.27)		

परिशिष्ट 3.19
शौचालय निर्माण का लक्ष्य तथा उपलब्धि
(सन्दर्भ: कंडिका 3.6.12)

क्र. सं.	जिला	प्रमंडल	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत में
1	राँची	राँची पूर्व	4,242	210	4.95
2		राँची पश्चिम	5,700	0	0.00
3	पश्चिम सिंहभूम	चाईबासा	4,708	15	0.32
4		चक्रधरपुर	2,998	512	17.08
5	सरायकेला-खरसावाँ	सरायकेला-खरसावाँ	4,838	672	13.89
6		आदित्यपुर	2,701	1,471	54.46
7	धनबाद	धनबाद-1	2,698	967	35.84
8		धनबाद-2	4,047	382	9.44
9	गिरिडीह	गिरिडीह-1	6,525	2,089	32.02
10		गिरिडीह-2	6,900	5,500	79.71
11	दुमका	दुमका-1	2,362	1,737	73.54
12		दुमका-2	5,026	2,249	44.75
13	देवघर	देवघर	3,701	368	9.94
14		मधुपुर	5,945	1,240	20.86
15	साहिबगंज	साहिबगंज	3,701	614	16.59

परिशिष्ट 4.1
डी. सी. विपत्र का अप्रस्तुतीकरण
(सन्दर्भ: कंडिका 4.7)

(₹ में राशि)

कार्यालय	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	ए. सी. विपत्र का दिनांक	ए. सी. राशि	डी. सी. विपत्र के लिए लंबित राशि
उप-निदेशक, कृषि निदेशालय का कार्यालय	2012-2013	2401	237/12-13	26.03.2013	24,00,000.00	14,27,833.00
	2014-2015	4401	88/2014-15	06.02.2015	1,72,85,200.00	10,54,859.00
	2019-2020	2401	60/2019-20	27.09.2019	3,00,00,00,000.00	11,23,450.00
		2401	27/2019-20	20.06.2019	5,00,00,00,000.00	6,20,46,285.00
		2401	76/2019-20	28.10.2019	1,00,00,00,000.00	17,00,002.25
	2020-2021	2401	115/2020-21	22.02.2021	3,00,00,00,000.00	1,76,13,037.00
	2021-2022	2401	87/2021-22	04.10.2021	3,60,00,00,000.00	95,47,271.00
		2401	183/2021-22	29.01.2022	3,00,00,00,000.00	2,25,85,42,948.00
		2401	231/2021-22	24.03.2022	90,00,00,000.00	67,50,000.00
		2401	24/2021-22	17.06.2021	6,00,00,00,000.00	1,50,49,79,884.00
उद्यान निदेशालय	2012-13	2401	71/12-13	06.03.2013	6,00,00,000.00	6,00,00,000.00
डीएओ, राँची	2007-08	2401	225	31.03.2008	1,05,000.00	1,05,000.00
			209	30.03.2008	36,85,800.00	26,27,000.00
			212	30.03.2008	4,03,200.00	4,03,200.00
			214	30.03.2008	23,57,500.00	22,19,500.00
			224	31.03.2008	1,90,000.00	1,90,000.00
			213	30.03.2008	6,46,800.00	6,46,800.00
			215	31.03.2008	20,24,000.00	18,76,000.00
			210	30.03.2008	44,64,200.00	28,73,000.00
डीएओ, पलामू	2003-04	2401	35	12.12.2003	1,18,800.00	1,18,800.00
	2004-05	2415	71	27.09.2004	20,000.00	20,000.00
	2008-09	2401	60	19.02.2009	1,81,89,000.00	1,81,89,000.00
	2008-09	2401	61	19.02.2009	1,23,65,000.00	1,23,65,000.00
	2010-11	2401	113	31.03.2011	2,52,500.00	2,52,500.00
	2011-12	2401	36	24.11.2011	1,20,000.00	1,20,000.00
	2015-16	2401	138	31.03.2016	20,00,000.00	20,00,000.00
		2401	137	31.03.2016	30,00,000.00	30,00,000.00
		2401	168	31.03.2016	6,27,270.00	6,27,270.00
		2401	140	31.03.2016	4,50,000.00	4,50,000.00
		2401	139	31.03.2016	3,00,000.00	3,00,000.00
	2016-17	2401	169	31.03.2016	70,833.00	70,833.00
2016-17	2401	24	03.10.2016	40,00,000.00	40,00,000.00	
डीएससीओ, पलामू	2011-12	2402	89/11-12	31.03.2012	21,40,000.00	21,40,000.00
डीएओ, धनबाद	2010-11	2401	174	31.03.2011	95,000.00	6,000.00
			173	31.03.2011	1,42,500.00	16,500.00
	2011-12		88	01.03.2012	12,08,000.00	13,000.00
			98	19.03.2012	5,45,000.00	5,45,000.00
			90	01.03.2012	14,000.00	14,000.00
			89	19.03.2012	4,55,000.00	4,55,000.00
	2012-13		162	31.03.2013	15,15,300.00	15,15,300.00
	2015-16		154	31.03.2016	5,89,695.00	17,478.00

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

कार्यालय	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	ए. सी. विपत्र का दिनांक	ए. सी. राशि	डी. सी. विपत्र के लिए लंबित राशि	
			190	31.03.2016	70,833.00	70,833.00	
			191	31.03.2016	6,27,270.00	1,34,864.00	
डीएचओ, धनबाद	2009-10	2401	175	08.03.2010	49,750.00	49,750.00	
डीएओ, साहिबगंज	2016-17	2401	44	24.10.2016	75,00,000.00	28,35,164.00	
		4401	63	08.12.2016	1,16,33,720.00	1,16,33,720.00	
डीएओ, देवघर	2015-16	2401	177	23.03.2016	20,00,000.00	20,00,000.00	
			176	31.03.2016	30,00,000.00	30,00,000.00	
			220	31.03.2016	2,72,700.00	2,72,700.00	
			159	28.03.2016	67,040.00	67,040.00	
			178	23.03.2016	4,50,000.00	4,50,000.00	
			179	31.03.2016	3,00,000.00	3,00,000.00	
			221	31.03.2016	70,833.00	70,833.00	
	2016-17	2401	158	28.03.2016	32,00,000.00	32,00,000.00	
			38	11.08.2016	25,00,000.00	25,00,000.00	
			37	11.08.2016	3,00,000.00	3,00,000.00	
			2017-18	62	18.10.2017	40,00,000.00	40,00,000.00
				63	18.10.2017	2,00,000.00	2,00,000.00
डीएओ, दुमका	2004-05	2401	21	10.11.2004	12,39,700.00	67,464.00	
			49	23.12.2004	3,00,000.00	2,40,000.00	
			95	31.03.2005	2,820.00	2,820.00	
			97	31.03.2005	62,960.00	62,960.00	
	2010-11		135	31.03.2011	4,47,500.00	4,47,500.00	
	2015-16		225	31.03.2016	34,00,000.00	34,00,000.00	
			226	31.03.2023	51,00,000.00	51,00,000.00	
			227	31.03.2023	3,00,000.00	3,00,000.00	
			228	31.03.2023	4,50,000.00	4,50,000.00	
	2016-17		54	01.02.2017	35,00,000.00	35,00,000.00	
एसडीएओ, चतरा	2005-06	4401	23	31.03.2006	50,00,000.00	50,00,000.00	
	2009-10	2401	67	24.12.2009	6,01,920.00	6,01,920.00	
	2010-11		119	31.03.2011	7,80,000.00	7,80,000.00	
	2015-16		151	19.03.2016	1,05,00,000.00	18,80,913.00	
			198	31.03.2016	6,27,270.00	6,27,270.00	
			199	31.03.2016	70,833.00	70,833.00	
	2016-17		28	24.08.2016	40,00,000.00	10,42,221.00	
कुल					25,71,44,04,747.00	4,03,66,20,555.25	

परिशिष्ट 4.2
डी. सी. विपत्र के प्रस्तुतीकरण में विलंब
(सन्दर्भ: कंडिका 4.8)

(₹ में राशि)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय का नाम	शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	दिनांक (Y-M-D)	ए. सी. राशि	डी. सी. विपत्र के समर्पित करने की अंतिम तिथि	डी. सी. विपत्र के समर्पित करने की तिथि	विलंब (y,m,d)
1	राँची	उप-निदेशक, कृषि निदेशालय का कार्यालय	2401	290	2012-03-31	38,50,000.00	2012-09-30	2020-07-24	7y9m25d
				22	2011-06-21	1,66,00,000.00	2011-12-31	2017-03-06	5y2m6d
				272	2013-03-31	34,75,314.00	2013-09-30	2018-03-07	4y5m8d
				172	2017-03-16	1,08,18,000.00	2017-09-30	2018-03-12	0y5m13d
				181	2017-03-17	30,00,00,000.00	2017-09-30	2021-08-28	3y10m29d
				182	2017-03-27	15,00,00,000.00	2017-09-30	2021-08-26	3y10m27d
				183	2017-03-27	5,00,00,000.00	2017-09-30	2021-08-26	3y10m27d
				77	2019-10-28	3,00,00,00,000.00	2020-04-30	2022-12-13	2y7m14d
				116	2021-02-22	1,50,00,00,000.00	2021-08-31	2023-01-27	1y4m27d
				117	2021-02-22	50,00,00,000.00	2021-08-31	2023-01-27	1y4m27d
				88	2021-09-30	1,20,00,00,000.00	2022-03-31	2023-01-27	0y9m27d
				184	2022-01-29	30,00,00,000.00	2022-07-31	2023-01-27	0y5m27d
		डीएओ	2401	218	2008-03-31	22,73,000.00	2008-09-30	2009-12-14	1y2m15d
				217	2008-03-31	27,27,000.00	2008-09-30	2009-12-14	1y2m15d
				178	2013-03-31	15,15,300.00	2013-09-30	2014-07-16	0y9m17d
				195	2016-03-30	18,00,000.00	2016-09-30	2017-03-06	0y5m7d
				192	2016-03-30	2,07,81,151.00	2016-09-30	2017-10-25	1y0m26d
				128	2017-03-05	28,00,000.00	2017-09-30	2018-03-07	0y5m8d
				98	2018-02-03	74,00,000.00	2018-08-31	2019-02-12	0y5m9d
		डीएचओ	2401	211	2008-03-30	10,00,000.00	2008-09-30	2009-12-14	1y2m15d
				123	2011-03-31	15,63,000.00	2011-09-30	2014-09-16	2y11m16d
				150	2012-03-31	46,25,000.00	2012-09-30	2015-07-27	2y9m28d
		डीएससीओ	2401	43	2005-12-09	9,999.00	2006-06-30	2008-08-27	2y1m28d
				71	2004-12-20	35,88,198.00	2005-06-30	2008-08-30	3y2m0d
2402	37		2005-12-30	10,000.00	2006-06-30	2010-09-27	4y2m27d		
2401	58		2012-02-24	5,14,000.00	2012-08-31	2017-08-10	4y11m10d		
2	पलामू	डीएचओ	2401	77	2005-03-31	2,64,000.00	2005-09-30	2006-08-01	0y10m2d
				66	2005-03-31	1,67,214.00	2005-09-30	2008-08-05	2y10m6d
				83	2005-03-31	4,53,300.00	2005-09-30	2008-08-05	2y10m6d
		डीएओ	2401	55	2018-01-29	10,00,000.00	2018-07-31	2019-08-02	1y0m2d
		डीएससीओ	2401	58	2007-03-30	41,93,100.00	2007-09-30	2008-08-07	0y10m8d
				59	2007-03-30	4,65,900.00	2007-09-30	2008-08-07	0y10m8d
				60	2007-03-30	47,59,600.00	2007-09-30	2008-08-07	0y10m8d
				61	2007-03-20	5,28,800.00	2007-09-30	2008-08-07	0y10m8d
		4402	48	2016-03-17	1,34,61,540.00	2016-09-30	2021-01-11	4y3m12d	
3	धनबाद	डीएओ	2401	153	2016-03-31	4,00,000.00	2016-09-30	2017-03-24	0y5m25d
				155	2016-03-28	9,00,000.00	2016-09-30	2017-07-27	0y9m28d
				54	2016-10-04	21,00,000.00	2017-01-31	2018-07-11	1y5m11d

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	जिला	कार्यालय का नाम	शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	दिनांक (Y-M-D)	ए. सी. राशि	डी. सी. विपत्र के समर्पित करने की अंतिम तिथि	डी. सी. विपत्र के समर्पित करने की तिथि	विलंब (y,m,d)	
				152	2016-03-28	60,00,000.00	2016-09-30	2017-03-27	0y5m28d	
				153	2016-03-31	4,00,000.00	2016-09-30	2017-03-24	0y5m25d	
4	साहिबगंज	डीएओ	2401	95	2011-03-31	2,22,500.00	2011-09-30	2014-03-08	2y5m9d	
				96	2011-03-31	2,22,500.00	2011-09-30	2014-03-08	2y5m9d	
				122	2016-03-16	51,00,000.00	2016-09-30	2017-07-28	0y9m29d	
				123	2016-03-16	3,00,000.00	2016-09-30	2017-07-28	0y9m29d	
5	गोड्डा	डीएओ	2401	7	2016-12-26	40,00,000.00	2017-06-30	2018-01-29	0y6m30d	
				19	2016-12-26	20,00,000.00	2017-06-30	2018-01-29	0y6m30d	
				101	2018-03-03	5,00,000.00	2018-09-30	2019-11-18	1y1m18d	
				58	2018-03-03	11,56,126.00	2018-09-30	2020-01-09	1y3m10d	
		डीएचओ	2401	1	2004-12-28	1,47,500.00	2005-06-30	2008-08-07	3y1m8d	
83	2012-03-31	15,00,000.00	2012-09-30	2015-06-18	2y8m18d					
6	देवघर	डीएओ	2401	177	2011-03-30	10,000.00	2011-09-30	2014-03-05	2y5m6d	
				181	2011-03-31	10,000.00	2011-09-30	2012-09-24	0y11m24d	
				208	2012-03-31	6,30,000.00	2012-09-30	2014-03-05	1y5m6d	
				160	2012-03-31	12,50,670.00	2012-09-30	2015-06-20	2y8m20d	
		डीएचओ	2401	17	2004-10-13	25,76,000.00	2005-01-31	2008-11-01	3y9m0d	
				54	2007-03-31	2,000.00	2007-09-30	2008-08-07	0y10m8d	
				55	2007-03-31	7,000.00	2007-09-30	2009-06-11	1y8m11d	
				56	2007-03-31	10,000.00	2007-09-30	2009-02-12	1y4m10d	
		98	2012-03-31	23,75,000.00	2012-09-30	2013-10-17	1y0m18d			
		डीएससीओ	2401	80	2005-01-24	30,104.00	2005-07-31	2015-05-22	9y9m22d	
				109	2005-01-24	91,66,200.00	2005-07-31	2008-08-18	3y0m18d	
				113	2006-02-24	16,700.00	2006-08-31	2008-06-21	1y9m20d	
				126	2007-03-31	95,13,449.00	2007-09-30	2008-08-16	0y10m17d	
				125	2011-03-31	1,78,57,000.00	2011-09-30	2014-02-11	2y4m9d	
2402	61			2012-01-11	15,06,000.00	2012-07-31	2015-12-11	3y4m11d		
2401	91	2012-03-31	1,10,00,000.00	2012-09-30	2013-03-13	0y5m14d				
92	2012-03-31	2,87,00,000.00	2012-09-30	2013-03-13	0y5m14d					
7	दुमका	डीएओ	2415	44	2004-12-01	1,00,000.00	2005-06-30	2008-07-31	3y1m1d	
				2401	231	2004-11-10	1,50,000.00	2005-05-31	2008-09-08	3y3m7d
					77	2005-03-17	10,000.00	2005-09-30	2008-07-31	2y10m1d
					86	2005-03-31	9,332.00	2005-09-30	2008-07-31	2y10m1d
					84	2005-03-17	10,000.00	2005-09-30	2008-07-31	2y10m1d
					60	2006-02-17	2,50,000.00	2006-08-31	2008-07-31	1y11m0d
		डीएचओ	2401	96	2005-03-29	10,000.00	2005-09-30	2009-06-12	3y8m12d	
				102	2005-03-31	2,500.00	2005-09-30	2009-06-12	3y8m12d	
				104	2005-03-31	45,000.00	2005-09-30	2008-07-02	2y9m3d	
				108	2005-03-31	10,000.00	2005-09-30	2009-06-12	3y8m12d	
				120	2005-03-31	10,000.00	2005-09-30	2009-06-12	3y8m12d	
				125	2005-03-31	10,000.00	2005-09-30	2009-06-12	3y8m12d	
				126	2005-03-31	10,000.00	2005-09-30	2009-06-12	3y8m12d	
127	2005-03-31	10,000.00	2005-09-30	2009-06-12	3y8m12d					

क्र. सं.	जिला	कार्यालय का नाम	शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	दिनांक (Y-M-D)	ए. सी. राशि	डी. सी. विपत्र के समर्पित करने की अंतिम तिथि	डी. सी. विपत्र के समर्पित करने की तिथि	विलंब (y,m,d)
				20	2005-11-17	1,26,000.00	2006-05-31	2009-06-12	3y0m11d
				21	2005-11-17	41,760.00	2006-05-31	2008-07-02	2y1m2d
				39	2006-11-14	3,29,065.00	2007-05-31	2008-06-18	1y0m17d
				40	2006-11-14	5,60,000.00	2007-05-31	2008-06-18	1y0m17d
				44	2007-01-13	3,62,270.00	2007-07-31	2008-06-18	0y10m17d
				51	2007-06-17	13,25,000.00	2007-12-31	2008-06-18	0y5m17d
				53	2007-07-04	10,00,000.00	2008-01-31	2008-06-18	0y4m17d
				54	2007-08-22	2,82,000.00	2008-02-29	2008-06-18	0y3m19d
				75	2007-03-28	3,20,000.00	2007-09-30	2008-06-18	0y8m18d
8	चतरा	एसडीएओ	2401	3	2008-01-30	6,30,000.00	2008-07-31	2015-05-05	6y9m5d
				7	2006-03-27	23,95,125.00	2006-09-30	2010-05-12	3y7m13d
				173	2006-02-17	9,42,000.00	2006-08-31	2015-08-18	8y11m18d
				165	2013-03-31	11,35,300.00	2013-09-30	2016-07-30	2y10m0d
				29	2016-08-24	20,00,000.00	2017-02-28	2018-11-03	1y8m5d
				153	2016-03-19	27,00,000.00	2016-09-30	2017-08-08	0y10m9d
कुल						7,23,50,37,517.00			

परिशिष्ट 4.3
चालान/चेक के माध्यम से निधि का प्रेषण
(सन्दर्भ: कंडिका 4.8)

(₹ करोड़ में)

कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	ए. सी. विपत्र की राशि	कोषागार में राशि का प्रेषण	चेक/चालान/ जीआरएन/दिनांक	उद्देश्य
डीएओ, पलामू	2010-11	113/31.03.11	0.03	0.03	738627/ 27.06.2012	
डीएओ, गोड्डा	2016-17	51/26.12.16	0.40	0.09	1800923516/ 15.01.18	सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना
	2017-18	179/03.03.18	0.12	0.00	1902506409/ 15.10.19	
	2017-18	172/03.03.18	0.05	0.05	1902505821/ 15.10.19	
डीएचओ, गोड्डा	2011-12	83/31.03.2012	0.15	0.15	15/02.11.2014	फल के वृक्षों का उत्पादन
डीएओ, देवघर	2012-13	160/31.03.13	0.13	0.13	93/17.06.15	बीज प्रसंस्करण के लिए भवन निर्माण
	2015-16	220/31.03.26	0.03	0.03	1700306493/ 08.09.17	कृषि मेला के अंतर्गत प्रशिक्षण/यात्रा इत्यादि
		178/23.03.26	0.05	0.05	1700599716/ 04.12.17	एनएमएसए के अंतर्गत जल प्रबंधन (राज्य)
		179/31.03.16	0.03	0.03	1700599810/ 04.12.17	एनएमएसए के अंतर्गत जल प्रबंधन (केन्द्रीय)
		221/31.03.16	0.01	0.01	1700306507/ 08.09.17	कृषि मेला के अंतर्गत प्रशिक्षण/यात्रा इत्यादि
		158/28.03.16	0.32	0.29	1700599596/ 04.12.17	झारखण्ड कृषि कार्ड योजना
डीएओ, चतरा	2012-13	165/31.03.13	0.11	0.11	729/30.07.14	
	2015-16	151/19.03.16	1.05	0.03	2318821295/ 18.08.23	
		198/31.03.16	0.06	0.06	2318821113/ 18.08.23	
		199/31.03.16	0.01	0.01	2318821215/ 18.08.23	
कुल			2.53	1.06		

परिशिष्ट 4.4
वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्र का आहरण
(सन्दर्भ: कंडिका 4.9)

(₹ में राशि)

क्र. सं.	कार्यालय	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	ए. सी. विपत्र की तारीख	ए. सी. विपत्र की राशि	शेष राशि	
1	उप-निदेशक, कृषि निदेशालय का कार्यालय, झारखण्ड सरकार	2011-12	2401	290	31.03.2012	38,50,000.00	0.00	
2		2012-13		237	26.03.2013	24,00,000.00	14,27,833.00	
3				272	31.03.2013	34,75,314.00	0.00	
4		2016-17		182	27.03.2017	15,00,00,000.00	0.00	
5				183	27.03.2017	5,00,00,000.00	0.00	
6				176	16.03.2017	36,06,000.00	0.00	
7				175	16.03.2017	24,04,000.00	0.00	
8				181	17.03.2017	30,00,00,000.00	0.00	
9				174	16.03.2017	2,16,36,000.00	0.00	
10				173	16.03.2017	1,44,24,000.00	0.00	
11				166	16.03.2017	72,12,000.00	0.00	
12		172		16.03.2017	1,08,18,000.00	0.00		
13		2021-22		231	24.03.2022	90,00,00,000.00	67,50,000.00	
14	उप-निदेशक, उद्यान निदेशालय	2012-13	71	06.03.2013	6,00,00,000.00	6,00,00,000.00		
15	उप-निदेशक, भू-संरक्षण निदेशालय	2016-17	98	31.03.2017	17,99,85,446.00	0.00		
16			99	31.03.2017	6,00,00,000.00	0.00		
17			97	31.03.2017	35,98,20,000.00	0.00		
18	डीएओ, राँची	2007-08	2401	205	30.03.2008	14,39,000.00	0.00	
19				206	30.03.2008	15,61,000.00	0.00	
20				207	30.03.2008	7,40,000.00	0.00	
21				208	30.03.2008	7,60,000.00	0.00	
22				209	30.03.2008	36,85,800.00	26,27,000.00	
23				210	30.03.2008	4,46,42,000.00	28,73,000.00	
24				212	30.03.2008	4,03,200.00	4,03,200.00	
25				213	30.03.2008	6,46,800.00	6,46,800.00	
26				214	30.03.2008	23,57,500.00	22,19,500.00	
27				215	31.03.2008	20,24,000.00	18,76,000.00	
28				217	31.03.2008	27,27,000.00	0.00	
29				218	31.03.2008	22,73,000.00	0.00	
30				225	31.03.2008	1,05,000.00	0.00	
31				2012-13	178	31.03.2013	15,15,300.00	0.00
32				2015-16	192	30.03.2016	2,07,81,151.00	0.00
33					195	30.03.2016	18,00,000.00	0.00
34					227	31.03.2016	80,000.00	0.00
35	डीएचओ, राँची	2007-08	2401	211	2008-03-30	10,00,000.00	0.00	
36		2010-11	123	2011-03-31	15,63,000.00	0.00		
37		2011-12	150	2012-03-31	46,25,000.00	0.00		
38	डीएओ, पलामू	2010-11	2401	113	31.03.2011	2,52,500.00	2,52,500.00	
39		2015-16	2401	138	31.03.2016	20,00,000.00	20,00,000.00	
40			2401	137	31.03.2016	30,00,000.00	30,00,000.00	
41			2401	168	31.03.2016	6,27,270.00	6,27,270.00	
42			2401	140	31.03.2016	4,50,000.00	4,50,000.00	
43			2401	139	31.03.2016	3,00,000.00	3,00,000.00	

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	कार्यालय	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	ए. सी. विपत्र की तारीख	ए. सी. विपत्र की राशि	शेष राशि		
44			2401	169	31.03.2016	70,833.00	70,833.00		
45	डीएचओ, पलामू	2004-05	2401	77	31.03.2005	2,64,000.00	0.00		
46				66	31.03.2005	1,67,214.00	0.00		
47				83	31.03.2005	4,53,300.00	0.00		
48				58	30.03.2007	41,93,100.00	0.00		
49	डीएससीओ, पलामू	2006-07	2401	59	30.03.2007	4,65,900.00	0.00		
50				60	30.03.2007	47,59,600.00	0.00		
51				2011-12	2402	89	31.03.2007	21,40,000.00	2,14,000.00
52				2015-16	4402	48	17.03.2016	1,34,61,540.00	0.00
53	डीएओ, धनबाद	2010-11	2401	174	31.03.2011	95,000.00	6,000.00		
54				173	31.03.2011	1,42,500.00	16,500.00		
55		2011-12		88	01.03.2012	12,08,000.00	13,000.00		
56				98	19.03.2012	5,45,000.00	5,45,000.00		
57				90	01.03.2012	14,000.00	14,000.00		
58				89	19.03.2012	4,55,000.00	4,55,000.00		
59		2012-13		162	31.03.2013	15,15,300.00	15,15,300.00		
60		2015-16		152	28.03.2016	60,00,000.00	0.00		
61				153	31.03.2016	40,00,000.00	0.00		
62				154	31.03.2016	5,89,695.00	17,478.00		
63				155	28.03.2016	9,00,000.00	0.00		
64				190	31.03.2016	70,833.00	70,833.00		
65				191	31.03.2016	6,27,270.00	1,34,864.00		
66		डीएचओ, धनबाद		2009-10	2401	175	08.03.2010	49,750.00	49,750.00
67	डीएओ, साहिबगंज	2010-11	2401	95	31.03.2011	2,22,500.00	0.00		
68				96	31.03.2011	2,22,500.00	0.00		
69		2015-16		122	16.03.2016	51,00,000.00	0.00		
70				123	16.03.2016	3,00,000.00	0.00		
71	डीएओ, गोड्डा	2017-18	2401	58	03.03.2018	11,56,126.00	0.00		
72				101	03.03.2018	5,00,000.00	0.00		
73	डीएचओ, गोड्डा	2011-12	2401	83	31.03.2012	15,00,000.00	0.00		
74	डीएओ, देवघर	2010-11	2401	177	30.03.2011	10,000.00	0.00		
75				181	31.03.2011	10,000.00	0.00		
76		2011-12		208	31.03.2012	6,30,000.00	0.00		
77		2012-13		160	31.03.2013	12,65,670.00	0.00		
78		2015-16		177	23.03.2016	20,00,000.00	20,00,000.00		
79				176	31.03.2016	30,00,000.00	30,00,000.00		
80				220	31.03.2016	2,72,700.00	2,72,700.00		
81				159	28.03.2016	67,040.00	67,040.00		
82				178	23.03.2016	4,50,000.00	4,50,000.00		
83				179	31.03.2016	3,00,000.00	3,00,000.00		
84		221		31.03.2016	70,833.00	70,833.00			
85		158		28.03.2016	32,00,000.00	32,00,000.00			
86	डीएससीओ, देवघर	2006-07	2401	126	31.03.2007	95,13,449.00	0.00		
87		2010-11		125	31.03.2011	1,78,57,000.00	0.00		
88		2011-12		91	31.03.2012	1,10,00,000.00	0.00		
89				92	31.03.2012	2,87,00,000.00	0.00		

क्र. सं.	कार्यालय	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	ए. सी. विपत्र की तारीख	ए. सी. विपत्र की राशि	शेष राशि	
90	डीएओ, दुमका	2004-05	2401	77	17.03.2005	10,000.00	0.00	
91				86	31.03.2005	9,332.00	0.00	
92				95	31.03.2005	2,820.00	2,820.00	
93				97	31.03.2005	62,960.00	62,960.00	
94		2010-11		135	31.03.2011	4,47,500.00	4,47,500.00	
95		2015-16		225	31.03.2016	34,00,000.00	34,00,000	
96				226	31.03.2023	51,00,000.00	51,00,000	
97				227	31.03.2023	3,00,000.00	3,00,000	
98				228	31.03.2023	4,50,000.00	4,50,000	
99	डीएचओ, दुमका	2004-05	2401	96	29.03.2005	10,000.00	0.00	
100				102	31.03.2005	2,500.00	0.00	
101				104	31.03.2005	45,000.00	0.00	
102				108	31.03.2005	10,000.00	0.00	
103				120	31.03.2005	10,000.00	0.00	
104				125	31.03.2005	10,000.00	0.00	
105				126	31.03.2005	10,000.00	0.00	
106				127	31.03.2005	10,000.00	0.00	
107				2006-07	75	28.03.2007	3,20,000.00	0.00
108				2010-11	93	28.03.2011	22,97,000.00	290522
109		2011-12		89	31.03.2012	7,50,000.00	0.00	
110	एसडीएओ, चतरा	2005-06	23	31.03.2006	50,00,000.00	50,00,000.00		
111		07	27.03.2006	23,95,125.00	0.00			
112		2010-11	119	31.03.2011	7,80,000.00	7,80,000.00		
113		2012-13	165	31.03.2013	11,35,300.00	0.00		
114		2015-16	151	19.03.2016	1,05,00,000.00	18,80,913.00		
115			153	19.03.2016	27,00,000.00	0.00		
116			198	31.03.2016	62,7,270.00	6,27,270.00		
117	199	31.03.2016	70,833.00	70,833.00				
कुल						2,39,63,63,304.00	11,63,49,052.00	

परिशिष्ट 4.5

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची (संदर्भ: कंडिका 4.18)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2018-19
2.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2018-19
3.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	2018-19
5.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2013-14
6.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2014-15
7.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2017-18
8.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2010-11
11.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2012-13
13.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूंटी	2015-16
14.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	2013-14
15.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	2015-16
16.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2018-19
18.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू	2013-14
19.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2011-12
20.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21.	स्वास्थ्य	जेएसएचएमआरएस, नामकुम	राँची	2015-16
22.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सराइकेला खरसावाँ	2013-14
23.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
24.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	(प. सिंहभूम) चाईबासा	2018-19
25.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2013-14
26.	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	2022-23
27.	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	2020-21
28.	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	फरवरी 2023 (अनुपालन लेखापरीक्षा)
29.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
30.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
31.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
32.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2016-17
33.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2016-17
34.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2016-17
35.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2016-17
36.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
37.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	2015-16
38.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
39.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16
40.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	फरवरी 2017 (अनुपालन लेखापरीक्षा)
41.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2016-17
42.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16
43.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	2015-16
44.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
45.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
46.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	2014-15
47.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
48.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2016-17
49.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	2014-15
50.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2016-17
51.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
52.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूंटी	2016-17
53.	शिक्षा (उ. एवं त.)	बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2016-17
54.	उड्डयन	नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राँची	राँची	2016-17
55.	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ एप्लीकेशन (जैप-आई.टी.)	राँची	2013-14
56.	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अन्तरिक्ष क्रियान्वयन केंद्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57.	सामाजिक कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58.	आई.टी. एवं ई- गवर्नेंस	राज्य सूचना आयोग	राँची	2015-16
59.	उद्योग	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	2021-22
60.	उद्योग	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2022-23
61.	उद्योग	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2021-22
62.	वन	लाह ट्रीटमेंट प्लांट, लातेहार	लातेहार	2008-09
63.	कृषि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, झारखण्ड	राँची	जुलाई 2023 (अनुपालन लेखापरीक्षा)
64.	शिक्षा (उ. एवं त.)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	जुलाई 2023 (अनुपालन लेखापरीक्षा)
65.	जैवप्रौद्योगिकी	वन में लाह की खेती, डोरंडा	राँची	2008-09
66.	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
67.	विधि	कानूनी सेवाएं समिति, उच्च न्यायालय, राँची	राँची	2008-09
68.	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	झारखण्ड राज्य हिन्दु धार्मिक ट्रस्ट परिषद	राँची	लेखापरीक्षित नहीं

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
69.	वन	झारखण्ड जैव-विविधता बोर्ड/परिषद, डोरंडा, राँची	राँची	2021-22
70.	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2019-20
71.	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2005-06
72.	शिक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
73.	वन	कार्यकारी निदेशक, वेस्टलैण्ड विकास बोर्ड, झारखण्ड	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
74.	वन	वन विकास प्राधिकार	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
75.	सूचना एवं जन संपर्क	सरकारी प्रेस	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
76.	शिक्षा	निदेशक, आर.के मिशन आश्रम, मोरावादी	राँची	2007-08
77.	वन	झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क)	राँची	2022-23

स्रोत: महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय में संधारित स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 5.1

सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियों/सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची, जिनके पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में से किसी एक के खाते 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त हुए हैं
(संदर्भ: कंडिका 5.4)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पंजीकरण/निगमन की तिथि	तक का खाता तैयार किया गया	तक लेखापरीक्षा पूरा हुआ
विद्युत (क्रियाशील)				
1	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	23.10.2013	2021-22	2021-22
2	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	23.10.2013	2020-21	2020-21
3	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	23.10.2013	2021-22	2021-22
विद्युत (अक्रियाशील)				
4	झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड (जेसीएल)	18.06.2009	2021-22	2021-22
5	पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पीईएल)	26.10.2012	2021-22	2021-22
6	कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड (केईएल)	19.09.2008	2021-22	2021-22
गैर-विद्युत (क्रियाशील)				
1	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	13.03.2002	2021-22	2021-22
2	ग्रेटर राँची विकास एजेंसी	10.01.2003	2021-22	2021-22
3	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	15.12.2004	2021-22	2021-22
4	झारखण्ड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	23.08.2006	2021-22	2021-22
5	झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास कंपनी लिमिटेड	19.11.2013	2021-22	2021-22
6	झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	27.09.2016	2021-22	2021-22
7	झारखण्ड रेलवे आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	06.07.2018	2021-22	2021-22
8	झारखण्ड मेडिकल एवं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोक्योरमेंट विकास निगम लिमिटेड	24.05.2013	2020-21	2020-21
9	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	05.12.2015	2021-22	2021-22
10	राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड*	30.09.2016	2021-22	2020-21

* 2020-21 से लेखापरीक्षा के लिए सुपुर्द किया गया

परिशिष्ट 5.2

कार्यात्मक पीएसयू जिनके खातों में तीन वर्ष से अधिक का बकाया है/पहले खाते प्राप्त नहीं हुए हैं/देय नहीं हैं (संदर्भ: कंडिका 5.4)

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	पंजीकरण/ निगमन की तिथि	नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खातों की अवधि
सरकारी कंपनियाँ			
विद्युत			
1	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	16.09.2013	2017-18
2	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	26.11.1987	2015-16
गैर-विद्युत			
3	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	22.03.2002	2009-10
4	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	15.03.2012	2019-20
5	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	07.05.2002	2017-18
6	झारखण्ड राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	26.11.2010	2015-16
7	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	22.03.2002	2016-17
8	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	27.03.2002	2018-19
9	झारखण्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड	28.01.2017	2018-19
10	झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड	20.09.2016	2017-18
11	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड	20.01.2016	2019-20
12	झारखण्ड फिल्म विकास निगम लिमिटेड	07.09.2016	2019-20
13	आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर लिमिटेड	17.11.2016	2018-19
14	झारखण्ड राज्य खादय एवं असेनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड*	18.06.2010	निगमन के बाद से लंबित है
15	अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब*	26.12.2018	
16	झारखण्ड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग निगम लिमिटेड*	27.01.2022	

* पीएसई जिन्होंने अपने पहले खाते प्रस्तुत/अंतिम रूप नहीं दिए हैं।

परिशिष्ट 5.3
राज्य सरकार के निवेश का निवल वर्तमान मूल्य
(संदर्भ: कंडिका 5.8.3)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी प्रदान की गई	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए निशुल्क ऋण	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन की लागत वसूल करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष की कुल कमाई	आरओआरआर (प्रतिशत में)
i	ii	iii	iv	v(iii+iv)	vi	vii(ii+v)	viii{vii*(1+vi)/100}	ix[{vii*vi}/100]	x	xi(x*100/viii)
2018-19 तक इक्विटी निवेश	6,097.41	4,379.14	0.00	4,379.14	7.98	6,114.49	6,602.42	487.94	-941.56	-14.26
2019-20	6,602.42	0.00	0.00	0.00	6.34	6,602.42	7,021.02	418.59	-1,608.46	-22.91
2020-21	7,021.02	643.00	0.00	643.00	6.13	7,664.02	8,133.82	469.80	-2,690.70	-33.08
2021-22	8,133.82	96.90	0.00	96.90	5.76	8,230.72	8,704.81	474.09	-2,544.15	-29.23
2022-23	8,704.81	0.00	0.00	0.00	5.50	8,704.81	9,183.58	478.76	0.00	0.00
कुल		5,119.04	0.00	5,119.04					-7,784.87	

स्रोत: 30 सितम्बर 2023 तक एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते और एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत जानकारी

प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि}+\text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व}/2]*100$
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	$\text{प्राप्त ब्याज } [(\text{आरंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्ति घाटा सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
ऋण धारणीयता	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः गिरेगा।
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्ति से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्ति के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदानों और भारत विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुपूरक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकाय (सामान्यतः निर्बंधित सोसायटियाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
आकस्मिकता निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूँजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उदग्रहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात् विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर